144

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

5557
28-4-15

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, गया
जिला– गया

OSD(K)

पत्र
29 APR 2015

महाशय,

नगर निगम, गया के वर्ष 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1204 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

29 APR 2015
3683

29/4/15

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14504 / 2306 **दिनांक–** 31.03.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गया

275
30/4/15

31/3/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

1403

नगर निगम गया
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1204/14–15
(अवधि–2013–14)
भाग–I
प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर निगम गया
2. लेखा की अवधि :– 2013–14
3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 20.10.14 से 27.11.14
5. प्रशासन :–

i) महापौर का नाम	**अवधि**
श्रीमती बिभा देवी	01.04.2013 से 31.03.2014 तक

ii) उपमहापौर का नाम	**अवधि**
श्री अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव	01.04.2013 से 31.03.2014 तक

iii) नगर आयुक्त	**अवधि**
क) श्री धनेश्वर प्रसाद चौधरी बि0 प्र0 से0	01.04.2013 से 31.08.2013 तक
ख) श्री दयाशंकर बहादुर बि0 प्र0 से0	01.09.2013 से 31.12.2013 तक
ग) श्री राम विलास पासवान बि0 प्र0 से0	15.01.2014 से 31.03.2014 तक

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री संगम तिवारी (ले0प0)
2. श्री रंजीत कुमार (स0ले0प0अ0)
3. श्री राजेश कुमार– III (स0ले0प0अ0)

7 **पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम**– श्री राजीव कुमार– I (व0ले0प0अ0)

8 **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः**– अप्रस्तुत

9. **सामान्य अभियुक्तिः**– नगर निगम, गया की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाऐं। नगर निगम, गया प्रशासन से आग्रह है कि असंधारित पंजियों

के संधारण के प्रयास किए जाए। अवरोधित राशि का उपयोग नही किया जा रहा था। नगर निगम प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हाँ (27.11.14)

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि– ₹ 73982938.00

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹ 52277335.00

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर है।

12 बजट :–

बिहार नगरपालिका अधिनियम – 2007 की धारा 84 के भाग (1) के अनुसार नगर निकाय द्वारा तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है, भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च 31 के पहले निकाय को भेजे जाऐंगे।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध बजट एवं वार्षिक लेखा के मिलान के कम में पाया गया कि निम्न मद में बजट में व्यय का प्रावधान किया गया था परंतु वास्तविक व्यय कम या शून्य था।

क्र0सं0	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	जल स्तर को बनाये रखने हेतु डंडीबाग के निकट ड्रेन निर्माण के लिए अनुदान	50000000.00	शून्य
2	नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 6 स्थानों पर विवाह मंडप एवं सामुदायिक भवन निर्माण	10000000.00	शून्य
3	गया नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत बीथो मे बाँध	10000000.00	शून्य
4	SJSRY	35000000.00	923335

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

1. उपरोक्त मद के वास्तविक व्यय शून्य या काफी कम था,
2. जल पर्षद गया एवं योजना एवं विकास शाखा के बजट में प्रावधान किया गया है परंतु वार्षिकलेखा में इसे नहीं लिया गया था,
3. स्वीकृत बजट सरकार से वापस निकाय को भेजा गया है या नहीं यह अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया।

उपर्युक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि

(i) अगले वर्ष से वार्षिक लेखा में इसे रखा जाएगा।

(ii) सरकार से बजट अनुमोदन होकर प्राप्त नही हुआ है।

उत्तर के आलोक में भविष्य में बजट सम्भावित आय एवं व्यय को ध्यान में रख कर बनाया जाए।

13. वित्तीय विवरण और बैलेंश शीट :– तैयार नहीं किया गया।

14. आय– व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता):–

निगम द्वारा उपलब्ध कराये गए सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल.खाता के तैयार किए गए आय–व्यय विवरणी के अंतर्गत निम्न त्रुटि पाया गयाः

(i) आय–व्यय (सहायक रोकड़ बही)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सहायक रोकड़बही के आय– व्यय विवरणी की नमूना जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई।

1. कार्यालय भवन (जीर्णोद्धार), SJSRY, 13वीं वित्त मद की राशि एक ही बैंक पास बुक बैंक ऑफ इंडिया में संधारित की जा रही थी। नियमतः अलग– अलग मद के लिए अलग–अलग पास बुक संधारित किए जाने चाहिए।
2. बी0आर0जी0एफ0 मद की राशि तीन बैंक पासबुक (विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक) में संधारित की जा रही थी जिससे यह पता नहीं चला सका कि बी0आर0जी0एफ0 मद में बैंक पासबुक में कितनी राशि अवशेष है।
3. जनगणना, सिटी मैनेजर, रैन बसेरा आदि मद की राशि एक ही बैंक पासबुक बैंक ऑफ इंडिया में संधारित की जा रही है।
4. क्रम सं0 (6),(7) एवं (8) के अंतर का समाधान नहीं किया गया। (विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

पूर्व से संधारित खाता है। आगे से सभी मदों को अलग– अलग संधारित किया जायेगा। रोकड़ बही के अनुसार राशि का मिलान कर लिया जायेगा। अतः खाता संधारण एवं राशि का मिलान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

(ii) आय– व्यय (P/L)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़पाल रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय निम्न है :–

प्रारंभिक शेष = 101610380
आय = 311062329
ब्याज = 20845
कुल = 412693554
व्यय = 266200821
अवशेष = 146492733
कोषागार पासबुक के
अनुसार अवशेष = 285150601 (31.03.2014)
अंतर = 138657868

उपर्युक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि Accountant Cash Book(PL A/C) के अलावा Bank Passbook में राशि है । अतः Overall Statement से स्पष्ट हो जाएगा ।

(III) वित्तीय संव्यवहार – जल पर्षद

40

नगर निगम गया की वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये रोकड़बही एवं संबंधित बैंक पास के अनुसार वित्तीय संव्यवहार बनाया गया जो निम्न है:–

	2013–14	31 मार्च 2014 तक का अवशेष
प्रारंभिक शेष	544321.33	बैंक ऑफ इण्डिया ए/नं0 447510100015618 ₹910094.00
प्राप्ति	15395681.00	
राजस्व प्राप्ति	–	
कुल प्राप्ति	15940002.33	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया ए/नं0 1115990590, पुराना ए/नं0 01000051897 रू0 2118105
व्यय	15395681.00	
अंत शेष	544321.33	पी0एल0 खाता रू0 232973.00

दिनांक 14 मार्च 2013 का अंतशेष की विवरणी एवं 31 मार्च 2014 (13.03.14 को स्थिति) अंतशेष की विवरणी दोनों समान है जो कि निम्न है:–

बैंक ऑफ इण्डिया– ₹258530.00

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया– ₹21258.00

पी0एल0 खाता– ₹264533.00

कुल – ₹544321.33

विभाग को रॉयल्टी एवं कनेक्शन चार्ज (पाईप का कनेक्शन लेने के लिये) कुल प्राप्ति ₹418379.00 को दिनांक 21.04.2014 के बाद पृष्ठ सं0 18 से 19 रदद् कर रोकड़बही में प्राप्ति एवं भुगतान दोनों तरफ प्रविष्टि की गई है।

अंकेक्षण टिप्पणी:–

1. विभागीय राजस्व प्राप्ति की ससमय प्रविष्टि नहीं की गई।
2. बैंक ऑफ इण्डिया का 31.03.14 तक का अंतशेष ₹910094.00 है पर रोकड़बही में उक्त दिनांक को ₹258530.00 की ही प्रविष्टी था।

आपति के जवाब में बताया गया कि :–

जल पार्षद के रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दिया गया है।

कंडिका सं0 15. सरकारी अनुदान

संधारित अनुदान पंजी एवं कार्यालय द्वारा अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराये गये वर्ष 2013–14 की अनुदान की स्थिति निम्नवत हैं:–

1. 01.04.13 को प्रारम्भिक शेष – ₹ 341291737.00
2. वर्ष 2013–14 से प्राप्ति – ₹ 284021761.00
3. कुल अनुदान राशि – ₹ 625313498.00
4. वर्ष 2013–14 में व्यय राशि – ₹ 225827388.00
5. 31.03.14 को अवशेष राशि – ₹ 399486110.00

इतनी बड़ी अनुदान राशि क्यों अव्ययित थी इसका जवाब नहीं दिया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

निगम बोर्ड की बैठक में रख कर खर्च हेतु स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। अव्ययित राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

भाग II (क)– शून्य

भाग–II(ख)

कंडिका सं0 1. अपरिहार्य व्यय ₹10.49 लाख बागेश्वरी रोड में पाईप लाईन योजना (राज्य योजना)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक 157 दिनांक 01.03.11 द्वारा गया नगर निगम हेतु बागेश्वरी रोड में पाईप लाईन योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹6389900.00 स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ था। पूर्व में राज्यादेश सं0 1611 दिनांक 31.03.10 द्वारा राशि ₹4921730.00 प्राप्त हुआ था तथा इस पत्र से राशि ₹1468170.00 प्राप्त हुआ था अर्थात कुल राशि रू0 6389900.00 प्राप्त हुआ था। पत्रांक 1611 दिनांक 31.03.10 द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी।

नगर निगम द्वारा 28.01.11 को पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि ₹6888700.00 का तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, असैनिक गया को भेजा गया। वहां से अधीक्षण अभियंता द्वारा 22.02.11 को तकनीकी स्वीकृति दी गयी। तदनुसार कार्य प्रारंभ किया गया।

योजना सं0– 27/2011–12
संवदेक का नाम– श्री प्रमोद कुमार वर्मा, औरंगाबाद
निविदित दर– प्राक्कलित राशि पर
कार्य की राशि–

प्रथम चालू विपत्र	–	₹973908.00 दिनांक 08.02.12
करों की कटौती	–	₹119206.00
संवदेक को भुगतान किया गया राशि	–	₹854702.00 दिनांक 14.03.12

कार्यादेश की तिथि– 27.08.11
कार्य पूर्णता की अवधि– 01 वर्ष

इसके पश्चात् संवेदक द्वारा 01.08.12 को आवेदन दिया गया कि सी0आई0 पाईप का निर्माण बंद है अतः इसके स्थान पर डी0आई0 पाईप की उपयोग की अनुमति देने की कृपा की जाय तथा कार्य की समय सीमा को 03 माह बढ़ाने की कृपा की जाय।

दिनांक 25.08.12 को कनीय अभियंता के द्वारा सी0आई0 के स्थान पर डी0आई0 पाईप लगाने हेतु प्रतिवेदन दिये ताकि संवेदक द्वारा ससमय कार्य कराकर पानी आपूर्ति का कार्य सम्पन्न हो सके।

परन्तु इस पर विचार न कर 3 माह पश्चात सशक्त स्थायी समिति की बैठक 18.04.13 के प्रस्ताव सं0 01 के अनुसार सी0आई0 के स्थान पर डी0आई0 पाइप बिछाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार राशि ₹5160300.00 का प्राक्कलन बनाया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति ₹4998000.00 की 27.04.13 को दिया गया तथा योजना सं0 11/2013–14 लेकर निविदा में भेजा गया। प्राप्त निविदा की विवरण नीचे है:–

संवेदक का नाम– जिनके द्वारा निविदा दिया गया :–

1. मगध टयूबवेल, गया 20 प्रतिशत अधिक पर
2. श्री सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 22 प्रतिशत अधिक पर

न्यूनतम दर वाले मगध टयुबवेल, गया द्वारा दिनांक 26.06.13 को दर वार्ता में आने पर विभिन्न कारणों से स्थल का मुआयना कर प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत अधिक पर कार्य करने हेतु सहमत हुये।

38

दिनांक 22.07.13 को इन्हें कार्यादेश निर्गत किया गया इनके द्वारा कृत कार्य व भुगतान का विवरण नीचे है:–

क्र0	बिल सं0	बिल की राशि (10 प्रतिशत जोड़कर)	कटौती की राशि	संवेदक को भुगतान की गयी राशि
01	प्रथम	4207703.00	557102.00	3650601.00
02	द्वितीय एवं अंतिम	1290014.00	170796.00	1119218
कुल		5497717.00	727898.00	4769819.00

अंकेक्षण टिप्पणी :–

पूर्व के संवेदक द्वारा कार्य पूरा करने हेतु 01.08.12 को आवेदन दिया गया था परन्तु उन्हें कार्य नहीं दिया गया। अगर इन्हें कार्य दिया जाता तो राशि ₹ 1049167.00 की बचत होती। प्राक्कलन व कृत कार्य के अनुसार विवरण इस प्रकार है –

कृत कार्य– 1150 मीटर (दूसरे संवदेक द्वारा) पर

क्र0	कृत कार्य का क्रम सं0	पूर्व के संवदेक द्वारा	वर्तमान संवेदक द्वारा
01	01	4064100.00	4064100.00
02	02	131835.00	156537.00
03	03	12410.00	12410.00
04	04	22000.00	22000.00
05	05	15000.00	32000.00
06	06 क	203205.00	260102.00
07	06 ख	–	450776.00
कुल		4448550.00	4997925.00
जोड़ अतिरिक्त		–	499792.00
कुल		**4448550.00**	**5497717.00**

पूर्व के संवदेक को कार्य नहीं देने से राशि ₹1049167.00 की क्षति हुई। पूर्व के संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु आदेश नहीं निर्गत करने का कारण नहीं बताया गया।
आपत्ति के जवाब में बताया गया कि –

> विभाग द्वारा इस संबंध में संचिका में टिप्पणी दी गई है जिस पर सशक्त स्थायी समिति जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने के लिए सक्षम समिति है। जिसका निर्णय निविदा समिति को मान्य होगा। यदि पूर्व संवेदक कार्य हेतु इच्छुक थे तो पुनः निविदा में उपस्थित क्यों नहीं हुए।

जवाब संतोषजनक नहीं था। पूर्व के संवेदक को कार्य नहीं देने से राशि ₹1049167 का अपरिहार्य व्यय हुआ । अतः अपरिहार्य व्यय की राशि ₹10,49,167 की वसूली संबंधित कर्मी/पदाधिकारी से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0 2. निविदा प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नहीं होने से उचित प्रतिस्पर्द्धा का अभाव व अधिक दर पर भुगतान से निगम कोष की क्षति ₹11.08 लाख।

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5762 दिनांक 05.06.06 के 02(I) के अनुसार निविदा सूचना प्रकाशन के कम से कम दस दिन बाद निविदा प्राप्त की जायेगी।

पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक 2457 दिनांक 16.07.12 "समाचर पत्रों में निविदा का प्रकाशन नियमानुसार करने के विषय में" के अनुसार निविदा के उचित प्रसारण एवं निविदाकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्द्धा लाने हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में नियमानुसार होना आवश्यक है। इसके आधार पर निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी दस दिन से कम अंतर नहीं होना चाहिये।

परन्तु निम्न योजना में उक्त समय सीमा का पालन नहीं किया गया। मात्र सात से नौ दिन का समय मिला। इस कारण उचित प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा। मात्र दो–दो संवेदक ही आये। सभी का दर प्राक्कलित राशि से अधिक था। दर वार्ता के पश्चात् भी प्राक्कलित राशि से सात से नौ प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश दिया गया था।

क्र0 सं0 01 से 05 व 07 से 09 की योजना को निगम की बैठक दिनांक 29.06.13 के प्रस्ताव संख्या 05, क्रम सं0 06 की योजना को निगम की बैठक दिनांक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा अनुमोदित किया गया था। अधिक दर पर कार्य करने से राशि ₹1107997.00 का अधिक भुगतान/व्यय हुआ।

निविदा प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नहीं हुआ तथा राजस्व क्षति हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों के बारे में भी नहीं बताया गया।

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–IV पर सलंग्न है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि–

उपरोक्त वर्णित आपत्ति के संबंध में स्पष्ट करना है कि भविष्य में निविदा प्रकाशन में समय सीमा पर विषेष ध्यान दिया जायेगा। चारों योजना जलापूर्ति से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि गया में भीषण जल संकट से आम जनजीवन त्रस्त रहता है। आम नागरिको को जलापूर्ति प्रदान करने के खयाल से उक्त चारों योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया अन्यथा जल संकट होने पर आम नागरिको द्वारा सड़क जाम करने से विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो जाती है ।

जवाब युक्ति संगत नहीं है, अतः राशि ₹1107997.00 का व्यय अनियमित है। अतः इसे अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है ।

कंडिका सं0 3. कम दर पर किराया वसूली करने से राजस्व की हानि ₹45.16 लाख

लेखापरीक्षा में उपलब्ध मार्केट शाखा दुकान किराया से संबंधित विवरणी माँग तथा वसूली पंजी एवं बैठक पंजी की जाँच मे पाया गया कि दिनांक 10.02.06 बैठक के एजेण्डा सं0 09 के अनुसार निगम के दुकानो का मासिक किराया 4.00 रु0 प्रति वर्गफीट की दर से अप्रैल 2006 से वृद्धि करने का प्रावधान और निगम बोर्ड दि0 29.11.12 की बैठक के कार्यवाही सं0 03 के अनुसार अप्रैल 2013 के प्रभाव से दुकान किराया प्रति वर्ग फीट 1 रु0 बढाने का प्रावधान किया गया, तदनुसार नगर निगम के जी0बी0 रोड मार्केट के दुकान का किराया 1 अप्रैल 2013 से 7 रु0 और दिग्घी तालाब स्थित मार्केट के दुकान का किराया 5 रु0 निर्धारित किया गया। समाहरणालय के बायीं ओर जिला परिषद के मिर्जा गालिब मार्केट के दुकान के बाद नगर निगम के जी0बी0 रोड स्थित दुकान अवस्थित है। इसी प्रकार समाहरणालय के दायीं ओर दिग्घी तालाब मार्केट की दुकान स्थित है। जिला परिषद के मिर्जा गालिब मार्केट के दुकान का किराया 1 अप्रैल 2006 से प्रति वर्गफीट 8 रु0 की दर से वसूली की जा रही है जबकि नगर निगम के जी0 बी0 रोड स्थित दुकान एवं दिग्घी तालाब स्थित दुकान का किराया जिला परिषद के दुकान किराया के निर्धारित दर से कम वसूल किया जा रहा है। जबकी दोनों स्थान पर स्थित दुकान जिला परिषद के मार्केट समाहरणालय के समीप है । कम दर पर पसूली करने से नगर निगम को राजस्व की हानी हो रही है। विवरणी निम्न है –

B6

क. जी0बी0 रोड स्थित नगर निगम की मार्केट विवरणी :–

1.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
जी0बी0 रोड स्थित मार्केट	06	08	02	1600	72	230400

2.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (2013–14)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (2013–2014)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
जी0बी0 रोड स्थित मार्केट	07	08	01	1600	12	19200

कुल (230400+19200) ₹249600

ख. दिग्घी तालाब स्थित नगर निगम के मार्केट विवरणी :–

1.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	जिला परिषद द्वारा निर्धारित दर (1 अप्रैल 2006 से मार्च 2013)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
दिग्घी	04	08	04	13168	72	3792384

2.

स्थान	निगम द्वारा वसूली गई निर्धारित दर (2013–14)	परिषद द्वारा निर्धारित दर (2013–14)	दर का अंतर	कुल दुकानों की वर्गफीट	कुल (माह)	कुल राशि
दिग्घी	05	08	03	13168	12	474048

कुल (3792384+474048)= ₹4266432

राजस्व के रूप में कम वसूली गई राशि (4266432+249600)= ₹4516032.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. दुकान किराया का पुनरीक्षण समीप के जिला परिषद के दुकान के दर से कम रहने के कारण 2006–07 से 2013–14 तक कुल ₹4516032 राजस्व की हानि हुई ।
2. किसी भी दुकान के एकरारनामा की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. दिग्घी तालाब के मार्केट शाखा विवरणी के अनुसार क्र0सं0 10 ए, 11 ए और 12 ए के अनुसार कुल माँग के आधार पर वसूली की गयी है, परन्तु बकाया 31.03.2014 को ₹34220 कम दर्शाया गया है। विवरणी निम्न है –

क्र0सं0	मार्केट शाखा दुकान का नाम/दुकान सं.	कुल माँग	वसूली	विवरणी के अनुसार बकाया	वास्तविक बकाया
1.	दिग्घी तालाब (महेन्द्र कु0 वर्मा)/10 ए	13770	1860	1200	11910(10710)
2.	–तथैव–/11 ए	17640	4860	1200	12780(11580)
3.	अमित कुमार/12 ए	18140	4410	1800	13730(11930
					कुल– ₹34220

आपत्ति में जवाब बताया गया कि –
जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला परिषद की दर पर किराया की वसूली नहीं होने से नगर निगम को अप्रैल 2006 से राजस्व की क्षति हो रही है। यह तो सिर्फ दो मार्केट के संबंध में है। अन्य मार्केट की 2006 से किराया की दर को भी बाजार दर के बराबर लाने का अपेक्षित प्रयास किया जाय साथ ही सभी दुकानों की एकरारनामा प्रति को भी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। राजस्व की क्षति राशि ₹4516032 को जिम्मेवार पदाधिकारी या कर्मी से वसूली कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

(ii) साथ ही दुकान सं0 10 ए, 11 ए व 12 ए की वास्तविक माँग से कम बकाया राशि ₹34220.00 की वसूली हेतु भी अपेक्षित प्रयास किया जाए तथा इसे कम दर्शाने का कारण भी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

कंडिका सं0 4. योजना में अधिक भुगतान ₹51864.00
योजना सं0– 43/2013–14 (राज्य अनुदान)
योजना का नाम– वार्ड सं0 04 अंतर्गत बागेश्वरी में बोरिंग कर पाईप लाईन विस्तार एवं पोल तार लगाने का कार्य (400 मीटर)
प्राक्कलित राषि– ₹1476700.00
निविदादाता का नाम एवं दर–
1. मगध ट्युबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, कुजापी, गया। दर 12 प्रतिशत अधिक पर
2. जितेन्द्र प्रकाश, चन्दौती, गया। दर 13 प्रतिशत अधिक पर

योजना की स्वीकृति की तिथि– नगर निगम बोर्ड की 29.06.13 की बैठक के प्रस्ताव सं0 05 द्वारा
दर वार्ता पर निविदित दर– 10 प्रतिशत अधिक पर मगध ट्युबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, कुजापी, गया (निगम बोर्ड की बैठक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा)
कार्यादेश की तिथि– 18.12.2013
अतिरिक्त प्रावधान– निगम बोर्ड की बैठक 05.12.13 के कार्यावली सं0 08 अन्यान्य 05 द्वारा 100 मीटर अतिरिक्त हेतु ₹250000.00
तकनीकी स्वीकृति– 20.12.13
निविदित राशि– प्रथम 400 मीटर हेतु ₹1476700.00 + 10 प्रतिशत अधिक ₹1624370.00
अतिरिक्त 100 मीटर हेतु ₹250000.00
कुल ₹1874370.00

B4

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. अधिक भुगतान– प्राक्कलन व मापीपुस्त के आधार पर कार्य की राशि निम्नवत थी –

क्र0	कार्य का नाम	प्राक्कलन	मापी पुस्त/पृष्ठ सं0	भुगतेय राशि
01	400 मीटर	1476700 + 147670	1429365 + 142936 /पृष्ठ15	1572301.00
02	अतिरिक्त 100 मीटर	250000.00	274422 / पृष्ठ 21	250000.00
			कुल	1822301.00

संवेदक की बिल की राशि ₹1874165 में से करों की कटौती ₹249779 कर राशि ₹1624386 का भुगतान 24.01.14 को किया गया। इस प्रकार राशि ₹51864 (1874165– 1822301) का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया।

अधिक भुगतान के कारण अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाय।

2. जिस 05.12.13 की बैठक में अतिरिक्त कार्य ₹250000.00 की स्वीकृति दी गई इसकी अध्यक्षता श्री राकेश कुमार, प्रभारी कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद द्वारा नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में किया गया तथा ये ही इस योजना के कार्यपालक अभियंता भी थे।
   भुगतान के पूर्व महापौर/उपमहापौर की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी।
3. अतिरिक्त स्वीकृति कार्यादेश के पश्चात किस नियम के अंतर्गत दी गई यह अंकेक्षण में अस्पष्ट था।

आपति में जवाब बताया गया कि :–

प्राक्कलित राशि के अंतर्गत ही राशि का भुगतान किया गया है।

जवाब तर्क संगत नहीं था, अतिरिक्त 100 मीटर के लिए मात्र ₹2,50,000 का ही प्रावधान किया गया था। अतः अधिक भुगतान राशि ₹51,864 की वसूली संबंधित संवेदक से कर अंकेक्षण में दिखाया जाय।

कंडिका सं0 5(i) एकल निविदा ₹54.51 लाख

3 अदद 50 H.P मोटर पम्प व 06 अदद 20 H.P मोटर पम्प का क्रय मे0 प्रकाश ट्रेडर्स, गया से किया गया था।

विवरण नीचे है –

क्र0	विवरण	50 H.P सबमर्सिबल मोटर पम्प	20 H.P सबमर्सिबल मोटर पम्प
1.	समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि	1.11.12	1.11.12
2.	कोटेशन डालने की तिथि	9.11.12	9.11.12
3.	कोटेशन खोलने की तिथि	9.11.12	9.11.12
4.	अंतर का दिन	7 दिन	7 दिन
5.	प्राप्त कोटेशन निविदा की संख्या व नाम	1 अदद मे0 प्रकाश ट्रेडर्स गया	1 अदद मे0 प्रकाश ट्रेडर्स गया
6.	प्रति अदद दर	1380000	218600
7.	अदद की दर	3 अदद	6 अदद
8.	बिल कि राशि	4140000	1311600
9.	सुरक्षित जमा, आयकर, वैट व लेवर कर की कटौती	548136	173657
10.	संवेदक को भुगतान किया गया राशि	3591864	1137943
11.	आपूर्ति की तिथि	10.3.13	18.3.13

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निविदा प्राप्ति तथा समाचार पत्र मे प्रकाशन में समय सीमा का अनुपालन नही होने से उचित प्रतिस्पर्धा का अभाव :–
नगर विकास एवं अवास विभाग के पत्रांक 2457 दि0 16.7.12 के अनुसार निविदा प्रकाषन की तिथि तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बीच कम से कम 10 दिन का अंतर होना चाहिए।
पुनः पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5762 दि0 05.06.06 के 2(1) के अनुसार निविदा प्रकाशन के कम से कम 10 दिन बाद निविदा प्राप्त की जायेगी परंतु उपरोक्त में मात्र 7 दिन का अंतर था। इससे स्पष्ट है कि उक्त निविदा का उचित प्रचार – प्रसार नहीं हुआ तथा उचित प्रतिस्पर्धा का अभाव था। ज्ञातव्य है कि मात्र एक हीं निविदा प्राप्त हुआ। समय सीमा का पालन नहीं हुआ। इसे रदद् नहीं किया गया।
2. **एकल निविदा** :–बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की हालत में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि उचित प्रक्रिया पर प्रचार का आश्रय सुनिश्चित रुप से लिया गया ।
परंतु इसमें उचित प्रचार प्रसार का अभाव था। निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नही किया गया था। इस प्रकार राशि ₹5451600 का अनियमित व्यय हुआ इसका कारण स्पष्ट किया जाए।
3. बिना आवश्यकता के मोटर पम्प क्रय करना :–
नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 15.9.12 के प्रस्ताव सं0 5 (iv) (03) के अनुसार 20 एच0पी0 की 05 अदद् व 50 एच0पी0 की एक अदद् क्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। पुनः 24.9.12 के प्रस्ताव सं0 के द्वारा इसकी सम्पुष्टि की गयी।
इसके विरुद्ध 20 H.P की 6 अदद एवं 50 H.P की 3 अदद का कय हुआ था। 20 H.P की मोटर 18.3.13 व 50 H.P की मोटर 10.3.13 को प्राप्त हुआ था ।
इसके भंडार पंजी के अनुसार के 06 अदद 20 H.P मोटर के विरुद्ध अब तक मात्र 02 ही अधिष्ठापित हुआ था तथा शेष 4 अदद राशि ₹ 8,74,400 का निरर्थक पड़ा हुआ था। बिना आवश्यकता के मोटर की कय किया गया ।
पुनः जिन स्थलो पर 50 H.P व 20 H.P की मोटर अधिष्ठापित हुआ था वहाँ पर पूर्व की क्या स्थिति थी यह अस्पष्ट था।

आपत्ति के जवाब बताया गया कि :–

(i) निविदा प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा किया जाता है। यह अति अल्पकालीन निविदा थी।

(ii) एकल निविदा की स्वीकृति 29/01/2013 के कय समिति की बैठक में दी गयी है जो एक स्थान उपर है।

(iii) ज्ञात हो निगम क्षेत्र में कोई 50 से अधिक बोरिंग है। जिसमें स्टैण्ड बाई हेतु अधिक संख्या में मोटर उपलब्ध रखना अनिवार्य है ताकि जलापूर्ति बाधित न हो ।

एक ही निविदा प्राप्त होने पर यह केवल एकल निविदा था, साथ ही उचित प्रचार– प्रसार एवं उचित प्रतिस्पर्धा का भी अभाव था। क्रय समिति के समक्ष तो इसे खोला ही गया था, इसके एक स्तर ऊपर की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही इसका क्रय किया गया। निविदा प्रकाशन में इसे अल्पकालीन निविदा नहीं दर्शाया गया था। लगभग 18 माह बीतने के पश्चात भी 20 hp की 4

32

अदद का अधिष्ठापन नहीं करने से स्पष्ट है कि बिना आवश्यकता के इसका क्रय किया गया तथा सरकारी राशि दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार एकल निविदा के कारण राशि ₹5451600.00 अनियमित व्यय हुआ तथा उचित एवं सक्षम स्पष्टीकरण तक इसे अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 5(ii) एकल निविदा (राज्य योजना)/अनियमित व्यय ₹22.5 लाख

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की हालत में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाय कि उचित प्रक्रिया और प्रचार का पालन सुनिश्चित रूप से लिया गया।

परन्तु इसके विपरीत निम्न योजना मे इसका पालन नही हुआ।

योजना सं0– 86/12–13
योजना का नाम– 110 एच0पी0 भी0टी0 मोटर पम्प (सभी सामग्री सहित कम्पलीट सेट) की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।
परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि– 29.10.2012
निविदा खोलने की तिथि– 01.11.2012
प्राप्त कोटेशन/निविदा संख्या– 01 अदद, मेसर्स प्रकाश ट्रेडर्स, गया
कोटेशन दर– ₹2291000.00

क्रय समिति द्वारा दर वार्ता के अनुसार ₹2250000.00 पर कार्यादेश इन्हें निर्गत किया गया। इनके द्वारा प्रस्तुत बिल की राशि ₹2250000.00 में करो की कटौती राशि ₹297900.00 कर शेष राशि ₹1952100 का भुगतान (30.10.13 व 10.12.13) को किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. निविदा की शर्त सं0 04 के अनुसार "कम्पनी या कम्पनी के अधिकृत विक्रेता ही सिर्फ निविदा में भाग ले सकते है" शर्त सं0 02 के अनुसार तकनीकी बिड में सफल होने वाले आपूर्तिकर्ता का ही वित्तीय बिड क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी।

   श्री प्रकाश ट्रेडर्स, गया द्वारा "कम्पनी या कम्पनी के अधिकृत बिक्रेता" के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया गया था फिर नोट सीट पर दिनांक 03.11.12 को यह कैसे दर्शाया गया कि सभी वांछित कागजात दिया गया है जबकि तुलनात्मक विवरणी में इसका कॉलम खाली था।

   उक्त प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता पर वित्तीय बिड नहीं खोलने चाहिये था तथा पुर्ननिविदा करना चाहिये था। इस प्रकार अपने ही शर्त के विरूद्ध नगर निगम द्वारा वित्तीय बिड खोला गया जो कि अनियमित था। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
2. उपरोक्त नियमानुसार "एकल निविदा रहने के कारण क्रय सामग्री की बैठक 29.01.13 के क्रम सं0 18 के अनुसार 05.02.13 को बिना उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। सशक्त स्थायी समिति/निगम बोर्ड की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान के समय दिनांक 31.10.13 व 10.12.13 को अथवा इसके पूर्व महापौर की स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

   इस प्रकार वांछित कागजात अनुउपलब्ध रहने, एकल निविदा में उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आपूर्तिादेश देना अनियमित था तथा अनियमित व्यय हुआ।
   कोई जवाब नहीं दिया गया।

उपरोक्त आपत्ति का कोई जवाब नहीं देने के कारण व्यय राशि ₹22,50,000 अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

कंडिका सं0 6. सैरात की विभागीय वसूली में राजस्व की क्षति (पंचायती अखाड़ा बस स्टैण्ड)

आपत्ति ज्ञापांक सं0 एल0ए0/एस0एस.1/आर0के0/ 35 दिनांक 20.11.14 के संदर्भ में कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय वसूली की विवरण

2011–12 में 647115
2012–13 में 604055
2013–14 में 587440
कुल – 1838610
1.4.14 से 19.6.14 तक – 204760
कुल – 2043370

राशि ₹2043370 की वसूली वर्ष 2011–12 से 19.06.14 तक की पंचायती अखाड़ा बस स्टैण्ड की विभागीय वसूली की गयी। वर्ष 2014–15 में 01.04.14 से 19.06.14 तक विभागीय वसूली प्रतिदिन ₹2559.58 की दर से श्री बिनोद कुमार, कर संग्रहक के द्वारा की गयी। जबकि प्रति गाड़ी निगम द्वारा निर्धारित दर दिनाक 30.06.09 से यथावत है। फिर भी इसकी वसूली में प्रतिवर्ष गिरावट पायी गयी। जो न्यायसगंत नहीं है। अगर ₹2559.5 को ही आधार माना जाय तो 2011–12 से 2013–14 तक राजस्व की वसूली में हुई हानि की गणना निम्न है –

वित्त वर्ष	वसूलीकर्ता का नाम	प्रतिवर्ष वसूली	प्रतिदिन वसूली (गणना में)	रू0 2559.5 के आधार पर हुई हानि (प्रतिदिन) (N)	प्रतिवर्ष क्षति (365 x N)	अभ्युक्ति
2011–12		647115	1772.98	786.52	287079.80	
2012–13	श्री अजय कुमार, टी0सी0	604055	1654.95	904.55	330160.75	
	श्री अवधकिशोर शर्मा, टी0सी0					
	श्री रामेश्वर शर्मा, टी0सी0					
	श्री विनोद राम, टी0सी0					
	श्री ओमप्रकाश, अनुसेवक					
	श्री सरयू मांझी, अनुसेवक					
2013–14	श्री अवधकिशोर शर्मा, टी0सी0	587440	1609.42	905.08	346779.20	
	श्री बिनोद राम, टी0सी0					
	श्री गणेश प्रसाद, टी0सी0					
कुल					964019.75	

अंकेक्षण टिप्पणी :–

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विभागीय वसूली में प्रतिवर्ष निगम को ₹964019.75 की राजस्व क्षति हुई ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जवाब संतोषजनक नहीं है। राजस्व क्षति की राशि ₹964019.75 की वसूली संबंधित तत्कालीन विभागिए वसूलीकर्ता से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0 7 नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चापाकल मरम्मति व रख– रखाव में अनियमित व्यय

अंकेक्षण में 01.03.11 से संधारित संचिका प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.03.11 को खराब चापाकल के रख–रखाव हेतु अभिरूची के अभिव्यक्ति का दर प्राप्त हुआ तथा इसे खोला गया। इसमें दो निविदादाता द्वारा तकनीकी बिल समर्पित किया गया था। इनके नाम इस प्रकार थे:–

1. श्री इन्द्रभूषण कुमार, मोहल्ला खासगंज, पो0 सोहसराय, जिला नालंदा। वर्तमान पता मगध कोल्ड स्टोरेज, ग्राम+पो0 कुजापी, गया, फोन नं0 0631–2480251
2. मे0 मगध टयुबवेल इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद, महल्ला खासगंज, पो0 सोहसराय, जिला नालंदा। वर्तमान पता मगध कोल्ड स्टोरेज, ग्राम+पो0 कुजापी, गया।
   फोन नं0 0631–2480251

क्र0सं0 01 के संवेदक पी0एच0ई0डी0 से निबंधित नहीं थे। साथ हीं क्र0 02 के संवेदक द्वारा अग्रधन की राशि ₹02 लाख नहीं दिया गया था। इस आधार पर 16.04.11 को निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निविदा रदद् करने की अनुशंसा की गयी थी।

पुनः 30.04.11 को निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे एक स्तर उपर सशक्त स्थायी समिति के पास भेजा जाय। 23.04.11 को क्रम सं0 02 के संवेदक द्वारा राशि ₹2 लाख जमा किया गया।

दिनांक 3.05.11 को सम्पन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 07 के द्वारा दर वार्ता कर (क्र0सं0 2) नगर आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर एकरारनामा किया जाय।

दर वार्ता के अनुसार 30.08.11 से डी0टी0 चापाकल 520 अदद हेतु ₹4500 प्रति अद्द तथा शैलो चापाकल 230 अद्द हेतु रूपये 2200 प्रति अद्द का एकरारनामा 05 वर्ष के लिये दिनांक 30.12.11 को किया गया तथा प्रति वित्तीय वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का एकरारनामा हुआ। बिल त्रैमासिक देना था। इस प्रकार एकरारनामा राशि इस प्रकार हैः–

वर्ष 2011–12	–	₹ 1660166.00
वर्ष 2012–13	–	₹ 3130600.00
वर्ष 2013–14	–	₹ 3443660.00
वर्ष 2014–15	–	₹ 3788026.00
वर्ष 2015–16	–	₹ 4166828.00

कुल ₹ 16189280.00

इनके द्वारा 31.03.13 तक कुल ₹ 4696743.00 का बिल समर्पित किया गया जिसमें से आयकर व लेबर कर ₹ 128686.00 की कटौति कर राशि ₹ 4568057.00 का भुगतान किया गया था। 01.4.13 के पश्चात की गणना निम्न हैः–

क्र0	बिल की अवधि	बिल की राशि	कटौति की राशि	भुगतान की राशि	भुगातन की तिथि
1	01/13 to 03/13	782648	25357	757291	02.07.13
2	04/13 to 06/13	853798	27664	826134	10.07.13
3	07/13 to 09/13	853798	27664	826134	31.10.13
4	10/13 to 12/13	853798	27664	826134	24.01.14
		3344042	Total	32,35,693.00	

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. खराब चापाकल के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु अभिरूची के अभिव्यक्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन कब किया गया था।
2. तकनीकी बीड में मात्र एक ही संवेदक सफल थे। इसे रदद् नहीं किया गया। चूंकि यह 05 वर्ष के लिये था तथा यह ₹ 1.61 करोड़ की योजना थी।

उक्त कार्य की मापी पुस्त अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। मापी पुस्त में यह नहीं लिखा हुआ था कि डी0टी0/शैलों चापाकल की मरम्मति किया गया था अथवा नहीं दोनों का दर अलग–अलग था। इसके बिना यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि कितने अद्द डी0टी0 चापाकल अथवा कितने अदद शैलों चापाकल की मरम्मति की गयी।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि –

खराब चापाकल के मरम्मती एवं रख रखाव निविदा प्रकाशन से किया जाता है। क्योंकि एक ही संवेदक सफल थे इस कारण बस एक ही संवेदक थे। चापाकल मरम्मती की पंजी उपस्थापित किया गया है। चापाकल डी0टी0 520 एवं 230 शैलो चापाकल मरम्मती किया जाता है। साथ ही मरम्मति की पुष्टि अभियंताओं एवं वार्ड पार्षदों एवं लाभुको द्वारा किया जाता है जो कि एक पंजी में संधारित किया जाता है। निविदा में यह स्पष्ट लिख हुआ था कि पी0एच0ई0डी0 से निबंधित संवेदक ही इसमें निविदा डाल सकते है। श्री इन्द्रभूषण कुमार पी0एच0ई0डी0 से निबंधित संवेदक नहीं थे। इस प्रकार यह एकल निविदा का मामला था तथा इसे एकल निविदा के कारण इसे पुर्ननिविदा निकालना चाहिए था अथवा रद्द करना चाहिए था। परंतु ऐसा न कर श्री राजेन्द्र प्रसाद को कार्यादेश दिया गया। पुनः अंकेक्षण में प्रस्तुत मापी पुस्तक में यह स्पष्ट नहीं था कि कितने अद्द शैलों/डी0टी0 चापाकल की मरम्मति किया गया था। दोनों का दर भिन्न था।

अतः उक्त सूची अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करने तक इन्हें भुगतान की गयी राशि ₹8040985.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 8(i) कम जमा राशि ₹200

गया नगर निगम के वर्ष 2013–14 अवधि के रोकड़ बही (रोकड़पाल) एवं कोषागार पासबुक के मिलान के क्रम तथा होल्डिंग–रसीद के लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि राशि ₹ 200 नगद कम जमा है। विवरण निम्न है–

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि/तिथि	कर–संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
01	70637–39 होल्डिंग	07.02.14	7344.00	7244.00/ दि0 07.02.14	बाबुचंद	रोकड़पाल की रोकड़बही में संग्रहित राशि से ₹100 कम जमा।
02	–	21.05.2013	1,77,356.25	1,77,256.00/ 24.05.2013	–	SBI खाता सं0 84480010200100 C/8448100030 द्वारा ₹100.25 कम जमा (ट्रेजरी चालान सं0 145)

अतः राशि ₹200.25 को संबंधित शीर्ष में जमा कर, अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि –

राशि जमा करा दिया गया है, इसका सत्यापन भी अंकेक्षण के द्वारा किया गया है। परंतु राशि जमा के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राशि ₹200.00 की वसूली रोकड़पाल से कर अगले अंकेक्षण में दिखाई जाये।

कंडिका सं0 8(ii)

नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षा के नमूना जॉच के दौरान मामला प्रकाश में आया कि श्री नीरज कु0 सिन्हा के द्वारा विविध रसीद सं0 9453 दिनांक 21.11.13 को ₹450 की प्रविष्टि थी

परन्तु दैनिक संग्रह पंजी में ₹250 की ही प्रविष्टि थी। इस प्रकार ₹200.00 कम जमा की गई है। जवाब दिया गया कि राशि ₹200.00 जमा दिनांक 6.11.2014 को टेजरी में किया गया। ₹200.00 का बैंक में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः बैंक में जमा का साक्ष्य अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका सं0 9 06 अदद डम्फर का क्रय (13वीं वित्त)/ 02 अदद डम्फर निरर्थक क्रय

06 अदद डम्फर का क्रय मेसर्स मौर्या मोटर्स लिमिटेड, पटना से किया गया था। प्रति अदद दर ₹1950000.00 (वैट, रजिस्ट्रेशन सहित) था। इनके द्वारा प्रस्तुत बिल की राशि ₹11700000.00 मे से आयकर 2 प्रतिशत कटौती करने के उपरान्त शेष राशि ₹11466000.00 का भुगतान फर्म को किया गया। विवरण नीचे है:–

1. बिल की राशि– ₹ 11700000.00
   आयकर की कटौती (–) ₹ 234000.00
2. शुद्ध भुगतेय राशि– ₹ 11466000.00

भुगतान की विवरणी नीचे है:–

क्र0	चेक सं	दिनांक	राशि	मद	अभियुक्ति
01	ए094667	07.10.13	2100000.00	राज्य योजना जलापूर्ति	वाटर टैंकर की क्रय हेतु दी गई अग्रिम का सामंजन
02	ए094668	07.10.13	5700000.00	13वीं वित्त	अग्रिम
03	ए094843	10.12.13	3666000.00	13वीं वित्त	
कुल			**11466000.00**		

इसकी क्रय हेतु निविदा समाचार पत्र में 07.08.13 को प्रकाशित हुआ तथा कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि 13.05.13 थी। 16.08.13 को तुलनात्मक विवरणी तैयार हुआ जिसमें दो कोटेशनदाता मौर्या मोटर्स व इंपीरियल अशोक लीलैंड तकनीकी रूप में सफल हुये। इनका दर निम्न था:–

क्र0	फर्म का नाम	मॉडल	दर
01	मौर्या मोटर, पटना	टाटा एस0के0 1613	1925000.00
02	इंपीरियल अशोक लीलैंड	अशोक लीलैंड	1755000.00

24.08.13 को नगर निगम की क्रय समिति द्वारा वित्तीय बिड खोला गया। क्र0सं0 के अनुसार कोटेशन/निविदा की शर्त सं0 03 को पूरा नहीं करने के कारा इंपीरियल अशोक लीलैंड की वित्तीय बीडस पर विचार न कर मौर्या मोटर्स को ₹1950000.00 की दर पर स्वीकृति दिया गया तथा 06.09.13 को आपूर्ति आदेश दिया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. निविदा शर्त सं0 03 में यह उल्लेखित था कि कोटेशन की वित्तीय बीडस क्रय समिति के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी। इस आधार पर इंपीरियल अशोक लेलैंड की वित्तीय बिड पर विचार नही किया गया। जबकि इनका दर भी कम था।
2. निविदा प्रकाशन की तिथि तथा कोटेशन प्रप्ति की तिथि मे मात्र 5 दिन का अंतर था। कम से कम 10 दिन का पालन नहीं किया गया।
3. 2 डम्फर ₹ 39 लाख व्यय का निरर्थक पड़ा रहना:– गया नगर निगम भंडार प्रशाखा द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 06 अदद में से 04 अदद डम्फर ही कार्यशील है तथा 02 अदद डम्फर का उपयोग क्रय की तिथि से नहीं हुआ है। अर्थात लगभग 1 वर्ष से निरर्थक पड़ा हुआ हैं
   बिना आवश्यकता/उपयोग के 02 अदद डम्फर का क्रय हुआ।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

समय पर प्रकाशन हेतु सूचना तथा सम्पर्क विभाग को दिया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं था, इंम्पीरियल अशोक लीलैन्ड से क्रय नहीं करने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया, साथ ही डम्पर के अब तक उपयोग न होने से पूरी डम्पर क्रय की प्रक्रिया ही अनियमित थी। अतः कम दर वाले इंम्पीरियल अशोक लीलैन्ड के वित्तीय बिड्स पर विचार नहीं करने के कारण पूरी व्यय राशि ₹11700000.00 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0 .10(i) 15 अदद डस्टबीन का निरर्थक पड़ा रहना

110 अदद लोहे का डस्टबीन का क्रम प्रति अदद 25,475.00 की दर से मेसर्स कृषि यंत्र केन्द्र, पटना से किया गया था। सामाग्री की आपूर्ति 4.11.13 को किया गया था। इनके बिल की राशि ₹28,02,250.00 में से 2% आयकर की राशि ₹56,045 की कटौती कर शेष राशि ₹27,46,205.00 का भुगतान फर्म को चेक सं0 A094828 दि0 27.11.13 द्वारा किया गया था ।

सम्बन्धित सफाई शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा वितरण सूची, जो अंकेक्षण में उपलब्ध कराया गया के अनुसार 15 अदद डस्टबीन 19.11.14 तक भंडार में ही था तथा इसे वितरित नही किया गया था अर्थात क्रय करने के एक वर्ष पश्चात भी 15 अदद उपयोग नही किया गया। इसकी कय राशि ₹3,82,125.00 था। डस्टबीन की वारंटी अवधि भी एक वर्ष ही थी।

बिना आवश्यकता के डस्टबीन का कय किए जाने के कारणों को लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया जा सका।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

PP मेला व अन्य अवसर पर डस्टबीन का इस्तेमाल किया जाता है । मात्र चार अद्द डस्टबीन ही निगम भण्डार में रखा गया है। जिसकी सूची उपलब्ध करायी गयी है। उक्त डस्टबीन VIP कार्यो में आवश्यकतानुसार स्थलों पर कूड़ा जमा करने हेतु रखा जाता है, तथा उन्हें वापस रख लिया जाता है। जवाब गलत है, 19.11.14 तक की भंडार पंजी की छायाप्रति जो अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया के अनुसार 15 अदद का वितरण नहीं किया गया था। इसकी वारंटी अवधि भी एक वर्ष ही थी जो कि समाप्त हो चुका था। इस प्रकार बिना आवश्यकता के राशि ₹382125.00 का व्यय किया गया। इसका वितरण शीघ्र किया जाए तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए तब तक राशि ₹382125.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 .10(ii) फॉगिंग मशीन का कय (तेरहवीं वित्त)

नगर निगम गया द्वारा तीन अदद फॉगिंग मशीन (मॉडल AE125) का कय मेसर्स प्रकाश इंटरप्राइजेज, गया से प्रति अदद ₹9,30,000 की दर से किया गया था। आपूर्ति आदेश 5.2.13 को दिया गया था। तीनों फॉगिंग मशीन 18.5.13 को फर्म द्वारा आपूर्ति कर दिया गया था । नोट शीट संचिका पृष्ठ–2 के अनुसार इसकी कय तेरहवीं वित्त आयोग से करना था।

फर्म के बिल की राशि ₹27,90,000 में से 5 प्रतिशत वैट ₹ 1,39,500 तथा आयकर की राशि ₹62,496 की कटौती कर शेष राशि ₹25,88,004 का भुगतान चेक सं0–A094346 दिनांक 19.7.13 द्वारा किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. **सुरक्षित जमा राशि की कटौती नहीं ₹ 1,39,500 –** आपूर्ति आदेश 38 दिनांक–5.2.13 के शर्त 9 के अनुसार 'गारंटी/वारंटी अवधि में उपकरणों/उपस्करों के खराबी/तकनीकी रूप से विफल होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर चालू/कार्यरत करना होगा, जिसके विफल होने पर प्रति दिवस ₹500.00 तथा मासिक 2 प्रतिशत की दर से दण्ड शुल्क वसूल किया जायेगा जो अधिकतम एक माह होगा। इसके उपरांत सुरक्षित जमा राशि जब्त कर आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी ।
परंतु भुगतान के पूर्व 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि ₹1,39,500 की कटौती नहीं किया गया था। फर्म द्वारा 1 वर्ष तक संधारण की शर्त अपने कोटेशन में दिया था। सुरक्षित जमा राशि का भुगतान 1 वर्ष पश्चात करना चाहिए था ।
2. **भौतिक स्थिति** :– भंडार प्रशाखा द्वारा प्रस्तुत लॉगबुक के अनुसार तीन में से एक फॉगिंग मशीन के क्रय के पश्चात अबतक उपयोग नहीं हुआ था । पुनः एक अदद 7.4.14 से खराब था जो 17.11.14 को मरम्मति हुआ। दूसरा अदद 3.4.14 के पश्चात खराब पड़ा हुआ था ।

बिना आवश्यकता के इतनी बड़ी राशि का व्यय क्यों किया गया था?

जवाब दिया गया कि –

1. इसके अलावा मलेरिया विभाग द्वारा चार अदद फॉगिंग मशीन निगम को उपलब्ध कराया गया था जिसमें से दो अदद खराब है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। दो अदद कार्य कर रहा है जिसका उपयोग पिछले माह से किया जा रहा है।
2. वर्तमान में दो अदद फॉगिंग मशीन कार्यरत है तथा एक स्टैण्डबाई में है । ज्ञात हो कि फॉगिंग का संचालन सालों भर नहीं किया जाता है वरण मच्छरों के ब्रीडिंग काल के एक माह पूर्व से कराया जाता है।

जवाब असंतोषजनक है। सुरक्षित जमा राशि ₹139500.00 की कटौती नहीं करने का कोई समुचित जवाब नहीं था। अतः उचित जवाब देने तक ₹139500.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है। पुनः बिना आवश्यकता के अदद फागिग मशीन ₹930000.00 के क्रय कर बेकार में लगभग 20 माह रखे जाने से सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया।

कंडिका सं0. 11 अनियमित व्यय ₹ 1550530

योजना सं0 47– 2009–10 (राज्य योजना नाली मद)
योजना का नाम– पावरगंज भुईटोली होते हुए रेलवे लाईन तक कभर सहित नाली का निर्माण
प्रा0 राशि– 1424800

संवेदक– श्री जय प्रकाश
कार्य पूर्ण अवधि– 18.09.09
कार्य बिल– 18.01.10
प्रथम बिल भुगतान– 588525
कटौती– 83905
कुल– **672430**
द्वितिय बिल भुगतान– 657151
कटौती– 93113
कुल– **750264**

1. क्या निविदा की सूचना समाचार में प्रकाशित की गई थी ।
2. संचिका के अनुसार दिनांक 26.02.2009 को कुल दो निविदादाता द्वारा विविदा डाला गया जिसमें ख्वाजा कंस्ट्रक्शन तकनीकी रुप से अस्वीकृत था श्री जय प्रकाश निविदादाता को प्रा0 ₹ 1424800 पर स्वीकृति दिया गया । बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के अनुसार एकल निविदा की स्थिति में निकटतम उच्य प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । परंतु ऐसे प्रक्रिया का पालन नही किया गया।
3. प्राक्कलन के अनुसार ₹1424800 का कार्यकर संवेदक को भुगतान करना था परंतु प्राक्कलन मे ₹ 127836 का अधिक कार्य कर भुगतान किया गया। क्या अधिक कार्य कराने का घटनोत्तर स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति/बोर्ड से प्राप्त की गई?

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

(i) निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था

(ii) निविदा समिति से उच्च प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है ।

(iii) स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक कार्य की घटनोत्तर स्वीकृत प्राप्त की गई थी।

अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट करने तक व्यय राशि ₹1550530.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन उपयुक्त तथ्य ...ी जाती है।

...0 12. सेवाकर की वसूली नहीं ₹623677.00

...म 1994 की धारा 68 एवं सेवाकर नियम 1994 के नियम 06 के अनुसार दुकानदार से ...थ सर्विस कर 10.3 प्रतिशत के दर से वसूली का प्रावधान है। ...ापरीक्षा में उपलब्ध विवरणी के अनुसार लेखा वर्ष 2013–14 में कुल ₹6055119.00 की ...। परन्तु ₹623677.00 (₹ 6055119 x 10.3 प्रतिशत) सेवा कर की वसूली नहीं की गयी ... सेवा कर की राशि वसूली नहीं किये जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट करें।

...ब बताया गया की :–
... जायेगी। अतः सेवा कर की राशि की वसूली संबंधित दुकानदार से ₹623677. ... में दिखाया जाए।

... बकाया किराया ₹2689779

...लब्ध माँग तथा वसूली पंजी एवं मार्कट शाखा के दिए गए विवरणी के ...नांक 31.03.14 तक दुकान पर ₹2689779.00 बकाया था।

₹2689779 के अभी तक वसूली नही होने के कारण एवं वर्तमान में

आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया है। दुकान पर बकाया किराया की राशि ₹2689779.00 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय ।

कंडिका सं0 14 पुराना प्राप्त अनुदान राशि का अवरोधन राशि ₹1.4 करोड़

गया नगर निगम, गया द्वारा संधारित अनुदान पंजी के अनुसार निम्न अनुदान ऐसे थे जिनमें वर्ष 2013–14 में व्यय शून्य था। 2013–14 के पूर्व संधारित एवं उपलब्ध अनुदान पंजी के अनुसार ये अनुदान कम से कम 04 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। विवरण नीचे है –

क्र0	अनुदान का नाम	01.04.13 एवं 31.04.13 को शेष राशि	राशि कब प्राप्त हुई थी	कब से व्यय नही हुआ है	अभ्युक्ति
01	12वीं वित्त आयोग	2286842	31.03.10 तक प्राप्त	30.05.12 से	-
02	एन0एस0डी0पी0	3967646	उपलब्ध नही	30.08.10 से	-
03	लोडर क्रय हेतु	207885	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	संधारित व उपलब्ध अनुदान पंजी के अनुसार 1.04.10 से व्यय शून्य
04	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	5127177	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	संधारित व उपलब्ध अनुदान पंजी के अनुसा 1.04.09 से व्यय शून्य
05	विधायक कोटा	40756	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	संधारित व उपलब्ध अनुदान पंजी के अनु 1.04.10 से व्यय शून्य
06	रैन बसेरा	1044625	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	-
07	सांसद निधि	852992	09.08.10 को प्राप्त	02.02.12 के पश्चात	
08	मास्टर प्लान	448240	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	संधारित व उपलब्ध अनुदान पंजी के 1.04.10 से व्यय शून्य
कुल		13976163	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	संधारित व उपलब्ध अनुदान पंजी के 1.04.10 से व्यय शून्य

अंकेक्षण आपत्ति :–

1. उपरोक्त अनुदान अब तक क्यों अवरोधित है? इसका उपयोग क्यों नही हुआ? यदि आवश्यक नही थी तो इसे संस्वीकृति प्राधिकारी को वापस नहीं किया गया।
2. क्रम सं0 02, 03, 04, 05, 07 व 08 के अनुदान कब प्राप्त हुआ था। इसे अंकेक्षण में उप नहीं कराया गया।
3. क्रम सं0 03, 04, 05, 07 व 08 के अनुदान में व्यय कब से नहीं हुआ है? इसे अंकेक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. जिसे उददेश्य हेतु उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुआ था, अनुदान अवरोधन से उसके उददे पूर्ति नही हुई। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

क्रमांक (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii) की राशि संवेदक के विपत्र से की गई राशि का शेष क्रमांक (iv) एवं (viii) के लिए निगम बोर्ड के कम हेतु निर्णय लिया जा चुका है जवाब गलत है। अवरोधित राशि का या ता शीघ्र उपयोग किया जाय अन्यथा संस्वीकृति को वापस किया जाय।

कंडिका सं0 15. योजना सं0 37/12-13 (जलापूर्ति बी0आर0जी0एफ0)

योजना का नाम– छः स्थानों पर प्याउ का निर्माण।
प्राक्कलित राशि– ₹ 832800.00 (वार्ड सं0 01,03,43,35,11,16)
परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि– 09.04.2012
संवेदक का नाम– श्री प्रमोद कुमार वर्मा, औरंगाबाद
निविदित दर– 15 प्रतिशत अधिक पर (एकल निविदा)
एकरारनामा दर– 10 प्रतिशत अधिक पर (सशक्त स्थायी समिति के बैठक 06.08.12 के कार्यावली सं0 19 (viii) के अनुसार)
कार्यादेश की तिथि– 11.02.13
कार्य पूर्ण करने की अवधि– 70 दिन
प्रथम चालु विपत्र की राशि– ₹ 347847+ 10 प्रतिशत अधिक = ₹ 382632.00
कटौती की राशि– ₹ 51645.00
संवेदक को भुगतान किया गया राशि– ₹ 330987.00 दि0 08.07.13

अंकेक्षण आपत्ति –

1. उक्त योजना की प्राक्कलन को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
2. उक्त योजना के कार्यवयन हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजा गया पत्र की प्रति तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की प्रति को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
3. पथ एवं निर्माण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 5762 दिनांक 05.06.2006 की प्रति को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
4. निविदा समिति के गठन की प्रक्रिया, सदस्यों की संख्या व पदनाम को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय। क्या यह संवैधानिक संस्था अथवा सरकार का निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित था?
5. क्या निविदा समिति से उच्च प्राधिकार सशक्त स्थायी समिति एवं निगम बोर्ड है? यदि हां तो किस आधार पर।
6. उपरोक्त भुगतान 02 प्याउ के लगभग पूर्ण तथा 02 प्याउ के ड्रिलींग व मोटर अधिष्ठापन पर किया गया था। 02 प्याउ के ड्रिलींग व मोटर अधिष्ठापन पर राशि ₹(145664+ 10 प्रतिशत अधिक) का भुगतान किया गया था। इसमे से एक पर ₹80115.00 का व्यय हुआ था (एकरारनामा के क्रम सं0 20 व 21, चलन्त बिल के 01 से 07 व 18)। इसमे से 01 प्याउ वार्ड सं0 03 में था। संवेदक के 23.01.14 के आवेदन के आधार पर उक्त स्थल रेलवे का था तथा उसके द्वारा कार्य को रोक दिया गया। रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र अब तक अप्राप्त था। कार्यादेश के क्र0 सं0 13 के कार्य प्रारंभ के पूर्व के अनुसार किसी विभाग से एन0ओ0सी0 की आवश्यकता हो तो एक सप्ताह में प्राप्त कर लेंगे।
   बिना अनापति प्रमाण पत्र के कार्य कैसे शुरू हुआ? इस प्रकार व्यय राशि ₹80,115.00 निष्फल हो गया।
7. इसकी एम0बी0 को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. नगर विकास एवं आवास विभाग की पत्रांक 2457 दिनांक 16.07.12 के अनुसार निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन तथा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की बीच आकास्मिक परिस्थिति में भी दस दिन से कम अंतर नही होना चाहिये जिससे की निविदाकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
   यदि इसका अनुपालन इस योजना में नहीं हुआ है तो राशि ₹34,785.00 का अधिक भुगतान इस योजना में हुआ है। वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।
   कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः इस संबंध में जवाब दिये जाने तक ₹1,14,900 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका सं0 16. संपत्ति कर (होल्डिंग कर) की बकाया राशि वसूल नहीं ₹19232448.00

होल्डिंग कर से संबंधित मांग तथा वसूली पंजी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया था परन्तु होल्डिंग कर बकाया से संबंधित विवरणी लेखा **परीक्षा में उपलब्ध कराया** गया था, जिसके अनुसार ₹192.32 लाख होल्डिंग वसूली के रूप में 31.03.14 तक बकाया था, विवरण निम्न है:–

पूर्व वर्ष का बकाया	–	**23082248.00**
कुल मांग	–	**38213767.00**
कुल मांग	–	**61296015.00**
वसूली	–	**42063567.00**
कुल बकाया (31.03.14)	–	**19232448.00**

उपरोक्त होल्डिंग कर के बकाया राशि के वसूली के लिये नगर निगम द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इससे लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

बकाया हेतु सार्थक प्रयास किए जाएगें। बकाया होल्डिंग के वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किये जाय।

कंडिका सं0 17. शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर राशि जमा नहीं ₹ 22726168.00

शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर (होल्डिंग टैक्स) के 50 प्रतिशत की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

नगर निगम द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रूप में वसूली गई राशि राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकाय के वसूल किये गये राजस्व में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था परन्तु इसे जमा नहीं किया गया। उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गई राशि का विवरण निम्न है:–

वर्ष 2013–14	**शिक्षा उपकर की राशि**	**स्वास्थ्य उपकर की राशि**
कुल राजस्व	12625649	12625649
(घटाया वसूली प्रभार 10 प्रतिशत)	(–)1262564.9	(–)1262564.9
सरकारी खाता में जमा नही राशि	11363084.1	11363084.1
कुल जमा नही राशि	₹ 22726168.00	

उपर्युक्त राशि के संबंधित निधि में जमा नहीं करने के कारणों को लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

राशि उपलब्ध होने पर जमा करा दिया जाएगा। संबधित शीर्ष में इसका प्रेषण यथाशीध्र किया जाय।

कंडिका सं0 18. सरकारी भवन पर बकाया भवन कर

लेखापरीक्षा मे भवन कर से संबंधित माँग तथा वसूली पंजी उपलब्ध नही कराया गया परंतु सरकारी भवन के डिमाण्ड एवं वसूली विवरणी उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार ₹48466154.00 सरकारी भवन पर बकाया था विवरणी निम्न है –

कुल बकाया:–	46511084
कुल माँग :–	3345873
कुल डिमांड:–	49856957
कुल वसूली:–	1390803
कुल बकाया:–	48466154

उपर्युक्त राशि के अभी तक बकाया रहने एवं निगम द्वारा वसूली हेतु किए गए प्रयासों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
आपत्ति के जवाब में बताया गया कि –
वसूली का प्रसास किया जाएगा । अतः वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ।
कंडिका सं0 19

(क.) विद्युत सामग्री क्रय ₹1783446.00
विद्युत सामग्री कोटेशन क्रय संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि विधुत सामग्रियों की आपूर्ति हेतु 25 विधुत सामग्री के लिये कोटेशन को आमंत्रित किया गया। जिसमें सौरभ इलेक्ट्रील्स शहीद रोड, गया को सामग्री आपूर्ति के लिये चयन किया गया जिसके अंतर्गत निम्न विवरण अनुसार किया गया :–

क्र0	चेक सं0/दिनांक	भुगतान की गई राशि	किसे दिया गया	अभियुक्ति
01	4094684/31.10.13	968132.00	सौरभ इलेक्ट्रीलस	पितृपक्ष मेला के अवसर पर
02	4094815/26.11.13	535668.00	सौरभ इलेक्ट्रीलस	दिपावली के अवसर पर
03	002111/26.12.13	89047.00 90659.00	सौरभ इलेक्ट्रीलस	दिपावली के अवसर पर
04	002125/18.02.14	99940.00	सौरभ इलेक्ट्रीलस	दिपावली के अवसर पर
	कुल भुगतान	783446		

लेखा परीक्षा अभियुक्ति :–

1. विधुत सामग्री के लिये कोटेशन आमंत्रण सूचना समाचार पत्र में कब प्रकाशित किया गया।
1.क्र0सं0 02, 03 एवं 04 में किया गया भुगतान किस मद से किया गया। इसका वर्णन संचिका के नोट शीट था संचिका में संलग्न नहीं पाया गया, भुगतान किस मद से की गई क्या इसकी स्वीकृति प्राप्त है या नहीं।
2.कय की गई विधुत सामग्री के भण्डार पंजी का 31.03.2014 को अवशेष उपलब्ध नहीं कराया गया ।
4. क्रय की गई विधुत सामग्री किस– किस स्थान पर लगाये गये है। कार्यस्थल सूची संलग्न नहीं पाया गया।

(ख) कोटेशन मे सामग्री आमंत्रण किये बिना भुगतान ₹120000.00
विधुत सामग्री क्रय के अंतर्गत ₹120000 का भुगतान Havel's Igniters for 70-40W 50NMH lamp के लिये किया गया जिसके लिये समाचार पत्र में प्रकाषित कोटेशन मे सूचना नहीं ही गई थी, न ही उपर्युक्त सामग्री के लिये दर निर्धारित था। विवरण निम्न है :–

क्र0	सामग्री का नाम	Invoice No.	मात्रा	दर	राशि
01	70-40W Son & MH lamp	1269	200	300	60000
02	70-40W Son & MH lamp	S/F/2013-14/1575	200	300	60000
		कुल			120000.00

20

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :–

1. बिना कोटेशन एवं बिना निर्धारित स्वीकृति दर के भुगतान किस आधार पर किया गया। आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

(i) विद्युत सामग्री का प्रकाशन दिनांक.....के द्वारा किया गया है ।

(ii) कोई भी सामग्री नगर आयुक्त के आदेश के बिना स्वीकृति प्राप्त है ।

(iii) भण्डार पंजी प्रस्तुत किया गया है ।

(iv) विहत प्रपत्र में चिन्हित स्थान दिया है ।

(v) स्वनिधि एवं 13 वें वित्त की राशि से क्रय किया गया है। रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा ।

(vi) पूर्व में क्रय किये गये Havells Ignitors में दर स्वीकृत है । इसी के आधार पर क्रय किया गया हैं। आवश्यक कार्यवाई कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए तबतक व्यय राशि ₹1783446.00 आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

कंडिका सं0 20. साधारण व्यवसाय एवं भयावह व्यवसाय की शुल्क वसूली

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध में उपलब्ध कराये गए मांग वसूली एवं बकाया कर स्थिति जो निम्न हैः–

बकाया	–	6,72,000.00 ✓
हाल	–	30,58,000.00
कुल मांग	–	37,30,000.00
कुल वसूली	–	25,63,150.00
अबतक अवसूलनीय माँग	–	11,66,850.00 (31.03.14 तक)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. साधारण व्यवसाय एवं भयावह व्यवसाय की शुल्क हेतु आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. अबतक कुल अवसूलनीय माँग ₹ 11,66,850/–के वसूली हेतु किए गए प्रयास से अवगत नहीं कराया गया।
3. नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त वसूली हेतु मांग पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. मांग पंजी बनाने के पूर्व क्या निगम क्षेत्रान्तर्गत सर्वे किया गया था। सर्वे कब कराया गया उसकी प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

(i) आदेश की प्रति उपलब्ध करवा दिया गया है ।

(ii) वसूली हेतु उचित कार्रवाई की जा रही है ।

(iii) मांग पंजी का संधारण हेतु टीम गठित कर दिया गया है ।

(iv) नगर आयुक्त के स्तर से टीम गठित किया गया है। उपरोक्त जवाब के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

कंडिका सं0 21 चालक एवं सफाई मजदूर (जॉब कार्डधारी) पर अप्राधिकृत व्यय ₹197.56 लाख

गया नगर निगम के अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति निम्न है:–

क्र0	शाखा का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभियुक्ति
1	गया नगर निगम	1079	438	641	
2	जल पर्षद	90	56	34	
3	योजना एवं विकास शाखा	116	64	52	

नगर निगम के अंतर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बल विवरणी के अनुसार चालक पद में कुल स्वीकृत बल 16 के विरूद्ध 12 कार्य कर रहे थे एवं सफाई मजदूर में कुल स्वीकृत बल 784 के विरूद्ध 240 कार्य कर रहे थे। नगर निगम द्वारा उपलब्ध विवरणी के अनुसार भण्डार शाखा में पहचान संख्या पर जॉबकार्डधारी 219 सफाई मजदूर एवं 94 चालक दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। जॉबकार्डधारी सफाई मजदूर एवं चालक को 2013–14 में कुल ₹ 19756252.00 का भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर संलग्न)

लेखापरीक्षा अभियुक्तिः–

1. विवरणी के अनुसार चालक के लिये कुल स्वीकृत बल 16 था परन्तु जॉबकार्डधारी के रूपा में 94 चालक कार्य कर रहे थे।
2. जॉबकार्डधारी चालक एवं सफाई मजदूरों की नियुक्ति की स्वीकृति सरकार से ली गयी थी या नहीं।
3. दैनिक मजदूरों (चालक एवं सफाई मजदूर) के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति सरकार से प्राप्त की गई थी या नहीं यह अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

निगम बोर्ड की बैठक के द्वारा बजट में भुगतान की स्वीकृति प्राप्त है । अधिक कार्यरत चालक, मजदूर के पद की संस्वीकृति सरकार द्वारा अविलम्ब प्राप्त किया जाए। साथ ही बोर्ड की बैठक जिसमें इसकी स्वीकृति दी गयी थी को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएए तबतक व्यय राशि ₹19756252.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

कंडिका सं0 22 संचार (मोबाईल) टावरों का अंपजीकृत रहना एवं ₹15587825.00 शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावाली 2012 दिनांक – 08.10.2012 की अधिसूचित किया गया है । उपर्युक्त नियमावली संरचना के नियम 6(1) के अनुसार नगर निगम के पंजीकरण शुल्क ₹50000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क ₹15000 प्रतिवर्ष प्रति टावरों निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावाली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क में प्रत्येक 05 वर्षो के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। नियम 6(4) के अनुसार टावर पर लगाये गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से नवीकरण शूल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायगा। नियम 6 (5 और 6) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एकमुश्त आवेदन की स्वीकृति के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिन के

भीतर भुगतान नहीं होने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देया होगा। नियम 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वितीय वर्ष के 1 अप्रैल तक प्राप्ति नहीं होने की स्थिति पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा। नियम 5(x) के अनुसार मोबाईल कम्पनी टावर या एंटिना की क्षमता को इंगित करेगी।

अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये मोबाईल टावरों की विवरणी में 10 कम्पनियों के 148 टावर के बकाया एवं वसूली को दर्शाया गया जिसमें कुल बकाया ₹8163000 है। पर अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बकाये की गणना करने में उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

अतः उपरोक्त नियमों का पालन कर कुल बकाया की राशि को अद्यतन कर अगले अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाय।

अभिलेख में मोबाईल कम्पनी टावर या एंटिना की क्षमता का उल्लेख अभिलेख में नहीं पाया गया।

अभिलेख में किसी भी टावर पर अतिरिक्त लगाये गये एंटिना की संख्या एवं उससे संबंधित नवीकरण एवं पंजीकरण शुल्क का गणना नहीं की गयी है । क्या इसका सर्वे करवाया गया था यदि करवाया गया है तो उसका रिर्पोट अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाय ।

आपत्ति ज्ञापांक सं0 एल0ए0/एस0एस0।/आर0के0/21 दिनांक 13.11.14 के संबंध में कुल 148 टावर के विरूद्ध ₹81,63,000.00 बताया गया। आपत्ति के आलोक में ब्याज के गणना के उपरांत दिनांक 26.11.14 को कुल टावर 162 के विरूद्ध ₹15587825.00 बकाया राजस्व दिखाया गया।

प्राप्त चेक जिसके द्वारा प्राप्ति की प्रविष्टि माँग खाता और राजस्व प्राप्ति में नहीं पाया गया कि जो निम्न है:–

Chennai Network-	23.03.14 to 27.03.14	130000.00
Aslend Telecom	28.05.14	50000.00
Tata Telecom	08.05.09	50000.00
Wireless T.T. Infra	11.11.07 to 29.12.09	720000.00
W.T.T.L.L	29.12.09	80000.00
T.T. Infra	29.03.10 to 29.03.10	320000.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बिना डिमाण्ड खाता में प्रविष्टि के ही उपरोक्त कम्पनियों को राजस्व की वसूली की गयी थी
2. सिविल अपील नं0 11001–02, 2013 में बैंक गारण्टी प्राप्त नहीं किया गया।
3. अद्यतन संलग्न गणनक कुल 162 टावरों के विरूद्ध उपरोक्त कम्पनियों पर ₹15587825.00 के बकाया के लिये की गयी कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।
4. मोबाइल टावर के लिये कब– कब सर्वे कराया गया उसके आदेश की प्रति एवं उसका रिर्पोट के अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

(i) अंकेक्षण आपत्ति में वर्णित मोबाईल टावर कम्पनीयों से राशि राजस्व शाखा में जमा की गई है, परन्तु टावर कम्पनीयों द्वारा एन0ओ0सी0 हेतु प्रर्याप्त कागजातों के साथ माबाईल टावर के शाखा मे उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण डिमाण्ड रिजस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई । माह नम्बर 2014 में पूरे निगम क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाईल टावर एवं उन पर लगे एंटिना का सर्वेक्षण कार्य कराने हेतु राजस्व पदाधिकारी एवं संबधित वार्ड के सभी

कनीय अभियंताओं को पत्र दिया गया है। सर्वेक्षण में यदि उपरोक्त वर्णित कम्पनीयों का टावर अधिष्ठापित पाया जाता है तो डिमाण्ड रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी ।

(ii) एवं (iii) नगर आयुक्त द्वारा सभी मोबाईल टावर कम्पनीयों को बकाया राशि निगम कोष में जमा करने हेतु अंतिम चेतावनी के रूप स्मरण पत्र दिया गया है जो अब तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। सभी बकायादारों पर ब्याज की गणना की गई है जो अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी है । जल्द ही उन कम्पनीयों को बैंक गारंटी जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जायेगा ।

(iv) वर्ष 2012 में सर्वेक्षण कार्य कराया गया था ।

₹15587825.00 राशि वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

TAN

कंडिका सं0 1(i). अनियमित रूप से दुकान का आवंटन

01. केदानाथ मार्केट, नगर निगम गया की वर्ष 2011–12 व 2012–13 की हैण्ड डिमाण्ड व वर्ष 2013–14 की मांग व वसूली पंजी की जांच में पाया कि दुकान सं0 38 वर्ष 2011–12 व 2012–13 में गया नगर निगम कार्यालय लिखा हुआ था। जबकि वर्ष 2013–14 से प्रतिमाह ₹550/– की दर से किराया की वसूली की जा रही थी।

02. केदारनाथ मार्केट की वर्ष 2013–14 की मांग व वसूली पंजी के अनुसार दुकान सं0 110 के संबंध में कोई सूचना नहीं लिखा हुआ था।यह किराया पर दिया गया था अथवा इसमें कार्यालय चल रहा था इस वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

श्री हुसैन द्वारा 18.06.13 को एक आवेदन दिया गया था। जिसमें यह उल्लेखित था कि वर्षों पूर्व इनके द्वारा उक्त दुकान में फल का दुकान चला रहा था पर कुछ कारणवश निगम के द्वारा बंद कर दिया गया था। इनके आवेदन पर विचार कर तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा 28.06.13 को आवंटित किया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 104 (क) के अनुसार 'सशक्त स्थायी समिति नगरपालिका की किसी चल सम्पति को बेच सकती है अथवा पटट्ा पर दे सकती है अथवा सार्वजनिक निलामी द्वारा व्यवस्थित कर सकती है तथा नगरपालिका के अचल सम्पति को पट्टा या किराये पर दे सकती है।

अंकेक्षण टिप्पणी –

1. बिना सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन के उक्त दुकान का आवंटन किया जाना अनियमित था।
2. पूर्व में दुकान क्यों बंद किया गया तथा उस समय यह दुकान किनके नाम से आवंटित था यह स्पष्ट नहीं था।
3. नगर निगम में दुकान आवंटन की प्रक्रिया है यह भी ज्ञात नहीं की जा सकी।
4. दुकान आवंटन/किराया पर देने हेतु अल्पकालिन सूचना/समाचार पत्र में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था।

इस प्रकार दुकान सं0 38 का आवंटन गलत तरीके से किया गया था। कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

यह तो एक नमूना है। इसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

नगर आयुक्त के द्वारा आपत्तियों पर चर्चा के दौरान यह अश्वासन दिया गया कि उक्त दुकान का आवंटन अविलम्ब रद्द कर खुली डाक द्वारा इसका आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका सं0 1(ii) दुकान का किराया पर देना

19.4.14 को श्री दिनकर प्रसाद, क0अ0, श्री देवनंनदन प्रसाद, क0म0, एंव श्री विनोद प्रसाद, स0अ0 द्वारा कठोकर तालाब,जी0बी. रोड मार्केट एंव बाटम नाला स्थित नगर निगम की दुकान का जांच प्रतिवेदन 24.4.14 को कार्यालय में समर्पित किया था जिसमें निम्न दुकान के सम्बंध में यह प्रतिवेदन था कि आवंटित द्वारा इसे दूसरे व्यक्ति को किराया पर दिया गया था। विवरण नीचे है :–

क्र0सं0	मार्केट का नाम	दुकान सं0	आवंटित का नाम	किराएदार का नाम
1.	कठोकर तालाब	2	कृष्णदेव कुमार	शिवपुजन प्रसाद
2.	कठोकर तालाब	14	द्वारिका प्रसाद	संजय कुमार
3	कठोकर तालाब	53	नथुन साव	विपुल कुमार
4.	बाटम नाला	16	मो0 इशारन खां फिरदौसी	नाजो
5.	बाटम नाला	17	मो0 इशारन खां फिरदौसी	नाजो
6.	जी0बी0 रोड	9(ए)	संजीव कुमार	रणजीत कुमार
7.	जी0बी0 रोड	9(डी)	अशोक कुमार	चितरंजन कुमार

कार्यालय द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी इसे स्पष्ट नहीं किया गया।

आपत्ति के जवाब मे बताया गया कि :–

जाँचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 7 माह बीतने के पश्चात भी मार्केट शाखा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से स्पष्ट है कि इनकी भी संलिप्तता इसमें थी। अतः नगर आयुक्त से अनुरोध है कि इन पर भी आवश्यक कार्रवाई से प्राप्त परिणाम को अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

कंडिका सं0 1(iii) नगर निगम दुकान का भौतिक सत्यापन

नगर निगम, गया क्षेत्रान्तर्गत निगम के जी0बी0 रोड मार्केट एवं दिग्घी तालाब मार्केट का दिनांक 26.11.14 को श्री धर्मेन्द्र कुमार , कनीय अभियंता, श्री लक्ष्मण सिंह, मार्केट प्रभारी, श्री उमेश कुमार यादवेन्दु, सहायक, श्री संगम तिवारी, ले0प0 एवं श्री राजीव कुमार, व0ले0प0अ0 द्वारा 29 दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 29 दुकानों में से 06 अदद दुकान आवंटी द्वारा दुकान किराये पर दिया हुआ था।

क्र0	स्थल	जांच की गई दुकान सं0	भौतिक सत्यापन में किराया पर पाया गया दुकान सं0
1	जी0बी0 रोड मार्केट	07	9 ए (01 अदद)
2	दिग्घी पूर्व दक्षिण भाग	08	15 ए (01 अदद)
3	दिग्घी सुखी नाला (पूर्वी भाग)	14	13,17,21,22 (04 अदद)
कुल		29	06 अदद

निगम कार्यालय द्वारा किसी भी दुकान का एकरारनामा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान आवंटी द्वारा दुकान किराया पर देना अनियमितता का द्योतक हैं। यह तो एक नमूना है। इस प्रकार की अनियमितताएं अन्य मार्केट में भी हो सकती है। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच की जाय।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

नियमानुसार जाँच कराकर कार्रवाई की जायेगी। सभी दुकानों पर इस संबंध में उचित कार्रवाई कर महालेखाकर कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जाए।

कंडिका सं0 2. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख– रखाव पर व्यय शून्य (तेरहवीं वित आयोग)

नगर निगम, गया द्वारा वर्ष 2013–14 में तेरहवीं वित्त आयोग के अंतर्गत शीर्षवार व्यय के आँकड़े उपलब्ध कराये गये। इसके अनुसार शीर्षवार व्यय इस प्रकार थाः–

1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन–	49776787.00
2.	जलापूर्ति–	22631379.00
3.	प्रकाश व्यवस्था–	4239685.00
4.	रैन बसेरा–	शून्य
	कुल–	**₹ 76647851.00**

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 4713 दिनांक 17.08.10 के अनुसार नगर निकायों के लिये 13 वी0 वित्त आयोग से प्राप्त राशि का व्यय निम्नवत किया जायेगा :–

1. कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
2. पाइप जलापूर्ति व्यवस्था, रख–रखाव सहित।
3. सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपभोग किये बिजली के बिल के भुगतान।
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख–रखाव।

उपरोक्त पत्रांक के आलोक में रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख–रखाव पर व्यय शून्य था। इस मद पर व्यय नहीं किया गया था।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण Old age Home नहीं बनाया गया है । राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय ।

कंडिका सं0 3. बन्दोबस्ती

1. वितीय वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षा मे उपलब्ध कराये गए सैरात के अभिलेखों में पंचायती अखाड़ा बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती वितीय वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक विभागीय वसूली की गई जिसकी वसूली/राजस्व की स्थिति निम्न हैः–

वितीय वर्ष	प्राप्ति राजस्व ₹ में
2011–12	6,47,115
2012–13	6,04,053
2013–14	5,87,440

उपलब्ध कराये गए आँकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्व आमद उतरोतर घटती गयी ।

114

वितीय वर्ष 2013–14 के बन्दोबस्ती के लिए अखबार में प्रकाशन दिनांक 26.02.13, 27.02.13, 18.03.13, 08.4.13 को प्रकाशित किया गया । इसके बाद नगर आयुक्त के द्वारा दिनांक 30.3.13 के विभागीय वसूली के आदेश दिया गया ।
इस प्रकार विभागीय वसुली में 2011–12 को ही आधार बनाते हुए 647115–587440 =₹ 59,675 की हानि नगर निगम को हुई। इसकी जिम्मेवारी तय की जाय। जबकि 2013–14 मे सुरक्षित जमा राशि ₹10,72.254 थी ।
अन्तिम प्रकाशन की तिथि 08.04.13 के बाद इसके बन्दोबस्ती के लिए किए गए प्रयास से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

2. सैरात (दिग्धी तालाब) पूर्वी भाग टेम्पु स्टैण्ड, जिला स्कूल के विभागीय वसूली दिनांक 01.4.13 से 03.04.13 तक का अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया।

4. दिनांक 26.02.13 में प्रकाशित बन्दोबस्ती हेतु आम सुचना में 22 बन्दोवस्ती में सिर्फ अंकेक्षण में 18 वन्दोबस्ती को दिखाया गया । शेष 04 बन्दोबस्ती संचिका को अंकेक्षण में नही दिया गया । इसकी बन्दोबस्ती किया गया अथवा नहीं। अगर नहीं तो इसकी बन्दोबस्ती करने का अबतक किए गए प्रयास से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। अगर विभागीय वसूली की गयी तो वसूली की राशि को अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

क्र0 सं0	नाम	सुरक्षित जमा राशि
13	भुसुण्डा सलेमपुर विसुआ मेला	205700
15	पीरमन्सुर पार्किंग स्टैण्ड	अनुपलब्ध
19	निगम क्षेत्र मे भारी वाहन के प्रवेश शुल्क	अनुपलब्ध
21	गोलपत्थर स्टैण्ड पर्किंग	अनुपलब्ध

प्रकाशित सैरात का सुरक्षित जमा राशि का जिक्र नही था इसका कारण नहीं बताया गया ।

आपति में जवाब बताया गया कि :–

जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। की गयी आवश्यक कार्रवाई से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका सं0 4. लॉगबुक

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गये कूड़ा उठाने के कार्य से संबंधित चालक लॉगबुक/खाता के नमूना जांच में पाया गयाः–

1. लॉगबुक किस गाड़ी का है स्पष्ट दर्शाया नहीं था।
2. कूड़ा उठाने का स्थान सिर्फ दर्षाया गया पर इसे कहां गिराया गया एवं उठाने तथा गिराने की बीच की दूरी का जिक्र नहीं किया गया।
3. गाड़ी द्वारा दिन भर में कितने किलोमीटर की दूरी तय की गयी, इसकी प्रविष्टी नहीं थी। गाड़ी में वित्तीय वर्ष 2013–14 में अप्रैल 2013 को आरंम्भ मीटर पठनांक एवं मार्च 2014 का मीटर पठनांक को अंकेक्षण में नहीं बताया गया।
4. नगर निगम में कुल कितने गाड़ी कूड़ा उठाने एवं इससे संबंधित कार्य में लगी है इसका विवरण नहीं दिया गया।
5. लॉग बुक में चालक का हस्ताक्षर एवं इसके जांचकर्ता का हस्ताक्षर नहीं था।
6. प्रत्येक गाड़ी का मायलेज या घंटा पर ईधन की प्रमाणिक खपत कितनी है यह नहीं बताया गया।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि –

प्रत्येक गाड़ी का लॉगबुक उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक गाड़ी का माईलेज नगर आयुक्त के द्वारा फिक्सड कर दिया गया है। अतः आपत्तियों में उठाये गये बिन्दुओं को अगले अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाय।

कंडिका सं0 5. सेवापुस्तिका ससमय संधारण नहीं

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों के सेवापुस्तिका के नमूना जांच के अवलोकन उपरान्त उक्त मामला प्रकाश में आया है जो निम्न है:–

क्र0	पदनाम	कब तक	संधारित है	अर्जित अवकाश का संधारण
01	श्री प्रमोद कुमार	कर संग्रहकर्ता	01.04.93	नहीं
02	श्री विजय कु0 सिन्हा	सहायक	01.04.06	नहीं
03	श्री शत्रुधन सिंह	कर संग्रहकर्ता	01.04.93	नहीं
04	श्री घनश्याम सिंह	प्रभारी खाद्य अनुज्ञा	01.04.93	नहीं

अबतक सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं किया गया और अर्जित अवकाश को भी सेवा पुस्तिका में अद्यतन संधारण नहीं किया गया ।

आपति में जवाब बताया गया कि :–

सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। सभी कर्मियों का सेवा पुस्त का अद्यतन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0 6. कार्यालय जेनरेटर का लॉगबुक में अनियमिता

वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण में कार्यालय में बिजली आपूर्ति के लिये कार्यशील जेनरेटर का लॉगबुक उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध लॉगबुक के अवलोकन के पश्चात अनियमितता प्रकाश में आयी। (विवरणी परिशिष्ट– VII पर संलग्न)

1. विवरणी के क्र0सं0 01 के अनुसार उपरोक्त दिनांक की रात्रि में जेनरेटर चलाया गया। उपरोक्त तिथि को कार्यालय अवधि समाप्त होने के बाद मध्य रात्रि को कार्यालय को जेनरेटर चलाने का आदेश पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। दिनांक 12.07.13 एवं 15.05.13 को लॉग बुक में मध्य रात्रि तक अर्थात् (11 पी0एम0 से 01 पी0एम0) जेनरेटर चलाने को जांचकर्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर सत्यापित भी किया जाय।
2. क्रम सं0 02 की विवरणी के अनुसार दिनांक 28.06.13 से 28.03.14 तक विभिन्न तिथियों को बिना डीजल (ईधन) के ही जेनरेटर चलाया गया है।
3. दिनांक 02.03.14 दिन रविवार को 10 एम0 से 01 ए0एम0 और 04 पी0एम0 से 06 पी0एम0 एवं ईधन 07 लीटर की प्रविष्टि पाई गयी। रविवार को कार्यालय खोला गया था इसकी आदेश की प्रति कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. क्र0 सं0 04 की विवरणी के अनुसार बिना अवधि की प्रविष्टि के ही ईधन की खपत दर्शाया गया जिसे जांचकर्ता द्वारा 26.10.13 को सत्यापित (प्रति हस्ताक्षर द्वारा) भी किया गया। नगर निगम में ईंधन की खपत का यह नमूना मात्र है। विस्तृत जांच आवश्यक है।

आपत्ति में जवाब बताया गया कि :–

नगर निगम बोर्ड की बैठक पर महत्वपूर्ण सरकार द्वारा माँग की जाने वाली प्रतिवेदन में रात्रि को भी कार्यालय आना पड़ता है । अतः रात्रि या रविवार को भी कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन हेतु नगर आयुक्त के द्वारा आदेष में अनुपालन किया जाता है।भविष्य में लॉग बुक का संधारण विधिवत किया जाए।

112

कंडिका सं0 7. अप्रस्तुत विविध रसीद

वितिय वर्ष 2013–14 में विविध रसीद जो अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, निम्न है –

निर्गत तिथि	नाम	रसीद सं0
24.07.13	श्री धनश्याम सिंह	52–5101–5200
21.12.13	श्री प्रमोद कुमार	142–1401–14200
02.03.14	श्री सुरेश कु0	162–16101–16200
05.03.14	सुरेश प्रव सिंह	164–16301–16400
14.03.14	उमेश कु0	172–17101–17200

उपर्युक्त का कोई जवाब नहीं दिया गया है । उपरोक्त पाँचों विविध रसीदों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय ।

कंडिका सं0 8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा रख–रखाव)

नगरपालिका धारा – 10 के उपबंधों के अधीन नगरपालिकाओं क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली को लागू करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एवं संचालन को विनियमित करने तथा ऐसे ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटाव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उत्तरदायी होगी।

विभिन्न चालकों द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉग बुक के नमूना जाँच से अस्पष्ट है कि उन लोगों द्वारा कूड़ा को कहाँ फेंका गया ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति :–

1. क्या निगम द्वारा कचरा जमाव के लिए कोई जमीन अधिकृत की गई थी ?
2. वर्तमान में शहरों का कचरा जमाव कहा किया जाता है ?
3. निगम, द्वारा प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए गए है ?
4. क्या निगम का कोई ट्रेचिंग ग्राउंड है ?
5. कूड़ा का निष्पादन किस प्रकार किया जाता है एवं क्या कुड़े को तौला भी जाता है ?
6. वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रतिदिन कूड़े का वजन के अनुसार कुल कितना टन कूड़ा का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उसका निष्पादन किया गया।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि :–

इस आशय का प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध करवा दिया गया था।

उपर्युक्त प्रतिवेदन अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसे अगले अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया जाय।

–हस्ता0–
(राजेश कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

नगर निगम गया लेखावर्ष 2013-14

परिशिष्ट - I

कंडिका सं० - 3 में संदर्भित (भाग - I)

प्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच अंकेक्षण में किया गया :-

(1.) रोकड़पाल रोकड़ बही
(2.) लेखापाल रोकड़ बही
(3.) सहायक रोकड़ बही
(4.) योजना पंजी
(5.) बजट
(6.) बैंक स्टेटमेंट/पास-बुक
(7.) होल्डिंग रसीद, विविध रसीद
(8.) अभिश्रव (आंशिक)
(9.) योजना अभिलेख (आंशिक)
(10.) भंडार पंजी
(11.) पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुपालन
(12.) नंदावली संचिका
(13.) मोबाईल टावर संचिका
(14.) लॉग बुक
(15.) स्वीकृत एवं कार्यरत बल विवरणी
(16.) नक्शा पंजी (आंशिक)
(17.) SJSRY संचिका

नगर निगम गया लेखा वर्ष 2013-14

परिशिष्ट - II

कंडिका सं० 3 में संदर्भित (भाग-I)

अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी नमूना जाँच नहीं किया गया :-

(1.) म्युटेशन पंजी
(2.) अपील पंजी
(3.) भवन निर्माण / विनिर्माण के लाइसेंस पंजी
(4.) कर प्राप्ति निर्गत पंजी
(5.) वारंट पंजी
(6.) विविध माँग पंजी
(7.) प्रापर्टी रजिस्टर
(8.) इन्डोमेंट रजिस्टर
(9.) सरकारी ऋण पंजी
(10.) ऋण विनियोग पंजी
(11.) निवेश पंजी
(12.) टूल एवं प्लांटस रजिस्टर
(13.) लेखापरीक्षा पंजी
(14.) जमा पंजी
(15.) संवेदक लेजर
(16.) दर सूची
(17.) कार्य पंजी
(18.) रोड मेटल विवरणी
(19.) ऑफल एकाउंट
(20.) लाईव स्टॉक के भंडार पंजी
(21.) सिंकिंग फंड रजिस्टर
(22.) म्युनिसिपल कर्मचारी के सिक्युरिटी पंजी
(23.) पोस्टेज, रिव्युनु स्टांप लेखा
(24.) मिजट बुक
(25.) पी.एफ लेखा / लेजर
(26.) सहायक अभि० कार्यपालक अभि० की लेखा पुस्तिका
(27.) दुकान किराया की एकरारनामा सूची
(28.) ट्रेड लाईसेंस एवं भुगतान माँग की सूची
(29.) दुकान आवंटन प्रक्रिया संचिका
(30.) कार्यालय भवन निर्णाद संचिका
(31.) नि० गा०निव मार्केट / दिग्घी तालाब मार्केट संबंधित संपुष्टि

AAO

19

~~[illegible] क्रं०~~ 2

(23)

परिशिष्ट-III

नगर निगम गया (2013-14)

(आय - व्यय)

(कंडिका क्रं० 14 से संदर्भित) (भाग-I)

क्रं.	मद	01.04.13 को प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	कुल	व्यय	31.03.14 को रोकड़ बही के अनुसार	31.03.14 को बैंक पासबुक के अनुसार	अंतर	बैंक का नाम A/c No.	अभियुक्ति
(1.)	कार्यालय भवन (जीर्णोद्धार)	8675000	—	8675000	5142824	3532176			BOI 447510110000887	
(2.)	SJSRY	1645122	—	1645122	923335	15527787			तदैव	
(3.)	13वीं वित्त	38362227	49228026	87590253	74620342	12969911			BOI 447510110000887	
(4.)	बी.आर.जी.एफ.	21305506	10795151	32100657	8465460	23635197	(Vijaya Bank 840701011000292 (BOI 447510110000887, Allahabad Bank 50069334010)			
(5.)	NULM	—	420000	420000	90000	330000			BoM 60159054129	
(6.)	आधारभूत संरचना (आई.एच.एस.डी.पी.)	~~8128000~~	8128000	8128000	—	8128000	8148487.00	20487	PNB 1967000102588124	
(7.)	आवास (आई.एच.एस.डी.पी.)	—	46514000	46514000	—	46514000	46755167.15	241167	PNB 1967000102576244	
(8.)	कबीर अंत्येष्टि	2526000	—	2526000	246000	2280000	1954893.53		SBI 11159985893	
(9.)	मनरेगा	54020	2165100	2219120	2165100	54020			BOI 447510100011579	
(10.)	सिटी मैनेजर	95484	240000	335484	280000	55484			BOI 447510100011579	
(11.)	रैन बसेरा	1044625	—	1044625	—	1044625			BOI 447510100011579	

(AAO)

8

							पासबुक अंतशेष	बैंक का नाम/A/c No.
(12)	जलपर्षद	544321=33	15395681=00	15940002=33	15395681	544321=33	910094	BOI 447510100005618
							2118105	SBI 1159905918, 010000518 89=
							232973	PL
(13)	P/L	101610380	211062329 20845 (ब्याज)	412693554	266260821	146492733	285150601.94	PL

P/L अंतर : 138657868.

AP

17 (कंडिका सं० 2 में संदर्भित भाग-II(2a)) पशिशिष्ट-IV

निविदा प्रकाशन एवं परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि में समय का पालन नहीं होने से अधिक भुगतान की विवरणी :-

क्र0	योजना सं0	योजना का नाम	मद	प्राक्कलित राशि	समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि	परिमाण विपत्र प्राप्त की अंतिम तिथि	अंतर दिन में	प्राप्त निविदा की दर व संवेदक का नाम	वार्ता के अनुसार दर व संवेदक का नाम जिन्हें कार्य दिया गया	बिल की राशि	कटौति की राशि	संवेदक को भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	04/13-14	गुरूद्वारा से गोल बगीचा देवीस्थान तक पाईप बदलने का कार्य।	राज्य अनुदान	915700	19.05.13	29.05.13	9	राजु प्रसाद गया, 9 प्रतिशत अधिक / उमेश कुमार, गया 12 प्रतिशत अधिक	राजु प्रसाद 9 प्रतिशत अधिक	994556	132402	862154	82119
2	06/13-14	गोदावरी रोड से मंगला गौरी, गांधी चौक तक पाईप लाईन बदलने का कार्य।	राज्य अनुदान	835600	19.05.13	29.05.13	9	राजु प्रसाद गया, 9 प्रतिशत अधिक / सुधीर कुमार सिंह नालंदा, 12 प्रतिशत अधिक	राजु प्रसाद 8 प्रतिशत अधिक	901295	120425	780870	66762
3	09/13-14	पंचायती आखाड़ा से बागेश्वरी गुमटी, बमबाबा लिंक रोड तक पाईप लाईन बदलने का कार्य।	राज्य अनुदान	1440700	19.05.13	29.05.13	9	सुधीर कुमार सिंह नालंदा, 9.99 प्रतिशत अधिक / राजेन्द्र प्रसाद, गया 11.5 प्रतिशत अधिक	सुधीर कुमार सिंह 07 प्रतिशत अधिक	1536740	203466	1333274	100534
4	10/13-14	पितामहेश्वर के सामने फलगु नदी में 1.6" बोरिंग, विघुतकरण पाईप लाईन का कार्य।	13वीं वित आयोग	1385100	19.05.13	29.05.13	9	राजेन्द्र प्रसाद गया, 10 प्रतिशत अधिक / सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 12 प्रतिशत अधिक	राजेन्द्र प्रसाद 10 प्रतिशत अधिक	1523543	202386	1321157	138504

5 18	11 / 13–14	बागेश्वरी रोड में पाईप लाईन योजना	राज्य योजना	4998000	19.05.13	29.05.13	9	मगध टयुबवेल, गया 20 प्रतिशत अधिक / सुधीर कु0 सिंह, नालंदा 22 प्रतिशत अधिक	मगध टयुबवेल, गया 10 प्रतिशत अधिक	5497717	727898	4769819	499792
6 17	43 / 13–14	वार्ड सं0 04 अंतर्गत बागेश्वरी में बोरिंग कर पाईप लाईन विस्तार	राज्य योजना	1476700	31.07.13	08.08.13	7	मगध टयुबवेल, गया 12 प्रतिशत अधिक / जितेन्द्र कुमार, गया 13 प्रतिशत अधिक	मगध टयुबवेल, गया 10 प्रतिशत अधिक	1874165	249779	1624386	142936
7 16	01 / 13–14	लक्ष्मण सहाय लेन में सी0आई0 पाईप लाईन का विस्तार कार्य	राज्य योजना	502702	24.04.13	03.05.13	8	सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 10 प्रतिशत अधिक / राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	546284	72328	473956	45106
8 16	02 / 13–14	वार्ड सं0 36 अंतर्गत समीर तक्या में एक प्याउ निर्माण	बी0आर0जी0 एफ0	165000	24.04.13	03.05.13	8	सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 10 प्रतिशत अधिक / राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	179322	24393	154929	14806
9 16	03 / 13–14	वार्ड सं0 41 अंतर्गत समीर तक्या पहाड पर 01 एच0पी0 मोटर लगाकर पाईप लाईन विस्तार कार्य	नगर निगम निधि	195200	24.04.13	03.05.13	8	सुधीर कुमार सिंह, नालंदा 10 प्रतिशत अधिक / राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	राजु प्रसाद, गया 9 प्रतिशत अधिक	211196	27963	183233	17438
कुल				**11914702**						**13264818**	**1761040**	**11503778**	**1107997**

SR. A-O

परिशिष्ट – V

कंडिका – 13, भाग – II (२१) से संबंधित

दुकान पर बकाया की विवरणी

क्र0	मार्केट शाखा दुकान का नाम	2013–14 में वसूली की गई राशि	बकाया
1 i.	दिग्घी तालाब दुकान	423865	124920
ii.	दिग्घी पूर्वी दुकान	389866	194416
iii.	दिग्घी दक्षिण दुकान	37800	77880
Iv.	दिग्घी पश्चिम दुकान	1920	49200
v.	नादरागंज दुकान	22970	78072
vi.	नादरागंज परती जमीन	9000	314000
2 i.	G.B रोड मार्केट	119437	24248
ii.	G.B रोड आजाद पार्क	15904	1344
iii.	G.B रोड मार्केट कॉम्पलेक्स	235393	51150
iv.	स्टेशन रोड मार्केट	8496	720
v.	गनी मार्केट ग्राउंड ब्लोर	43597	21590
vi.	गनी मार्केट फर्स्ट फलोर	30780	–
vii.	नगर निगम स्टोर	42428	13860
viii.	गाँधी मैदान चर्च रोड	155189	29250
ix.	के0 पी0 रोड मार्केट	131456	25182
x.	हाता गोडावन मार्केट	741984	94848
xi.	बॉटम वाला मार्केट	148685	223916
xii.	A.P कॉलनी मार्केट	437296	217683
3.	केदारनाथ मार्केट	867230	416200
4.	काथोकर तालाब	2191823	731300
	कुल	**6055119**	**2689779**

परिशिष्ट – VI

कंडिका – 21, भाग – II (2v) से संबंधित

14

जॉब कार्डधारी चालक एवं सफाई मजदूरी पर किया गया भुगतानः–

क्र0	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1	26.04.13	552200	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
2	26.06.13	548400	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
3	16.08.13	637078	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
4	01.10.13	653556	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
5	02.11.13	354598	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
6	19.12.13	419868	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
7	19.02.14	754778	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
8	11.03.14	481725	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
9	26.04.13	753339	सफाई मजदूरी
10	26.04.13	881712	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
11	26.06.13	1018773	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
12	23.07.13	639461	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
13	07.08.13	402504	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
14	16.08.13	1365000	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
15	29.08.13	719217	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
16	01.10.13	1387344	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
17	01.10.13	825351	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
18	01.10.13	798672	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
19	07.10.13	404500	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
20	19.12.13	783888	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
21	19.12.13	1173480	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
22	31.01.14	957432	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
23	19.02.14	1218168	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
24	19.02.14	854952	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
25	11.03.14	734800	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
26	15.03.14	435456	जॉब कार्डधारी चालक दैनिक मजदूरी पर भुगतान
Total		19756252	

परिशिष्ट – VII

कंडिका – 06 (TAN) से संबंधित

विवरणी (कार्यालय जेनरेटर का विधुत आपूर्ति)

1. मध्य रात्रि को लॉगबुक के अनुसार कार्यालय का खुला रहना

दिनांक	अवधि	ईंधन (डीजल) लीटर में	जांचकर्ता द्वारा सत्यापित
12.07.13	11 PM- 01 AM	06	हॉ
21.08.13	11 PM- 04 AM	07	नहीं
27.08.13	11 PM- 01 AM	08	नहीं
11.09.13	11 PM- 01 AM	07	नहीं
18.11.13	11 PM- 02 AM	07	नहीं
15.01.14	11 PM- 03 AM		नहीं
31.01.14	10 PM- 12 AM	06	नहीं
07.03.14	10 PM- 12 Midnight	06	नहीं
28.03.14	11 PM- 01 AM	10	नहीं
15.05.13	11 PM- 03 AM	07	नहीं
31.07.13	10 PM- 04 AM		नहीं

2. बिना ईंधन के लॉगबुक के अनुसार जेनरेटर का चलना

दिनांक	अवधि
28.06.13	10 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
27.06.13	11 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
01.07.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 06 AM
13.07.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 06 AM
17.07.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
18.07.13	10 AM – 12 PM TO 02 PM – 05 AM
20.07.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 06 AM
30.07.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 05 AM
03.08.13	11 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
05.08.13	10 AM – 12 PM TO 03 PM – 06 AM
10.08.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
13.08.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
14.08.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 06 AM
16.08.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
30.08.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
17.08.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 07 AM
03.09.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 07 AM
04.09.13	11 AM – 04 AM
14.09.13	10 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
16.09.13	11 AM – 02 PM TO 05 PM – 08 AM
18.09.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
28.09.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
30.09.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 05 AM
01.10.13	11 AM – 01 PM TO 04 PM – 07 AM
03.10.13	10 AM – 02 PM TO 05 PM – 07 AM
04.10.13	11 AM – 01 PM TO 04 PM – 06 AM
05.10.13	10 AM – 02 PM TO 05 PM – 07 AM
18.10.13	11 AM – 02 PM TO 03 PM – 06 AM

13

19.10.13	10 AM – 01 PM TO 04 PM – 08 AM
21.10.13	10 AM – 02 PM TO 05 PM – 07 AM
22.10.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
23.10.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
02.11.13	11 AM – 03 PM TO 05 PM – 08 AM
04.11.13	10 AM – 02 PM TO 04 PM – 06 AM
06.11.13	11 AM – 02 PM TO 03 PM – 05 AM
07.11.13	10 AM – 01 PM TO 04 PM – 07 AM
11.11.13	10 AM – 12 PM TO 05 PM – 06 AM
22.11.13	10 AM – 01 PM TO 04 PM – 06 AM
28.11.13	10 AM – 01 PM TO 03 PM – 06 AM
05.12.13	12 PM – 06 PM
12.12.13	11 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
13.12.13	10 AM – 01 PM TO 04 PM – 06 AM
17.12.13	11 AM – 02 PM TO 04 PM – 07 AM
21.12.13	11 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
23.12.13	10 AM – 01 PM TO 04 PM – 06 AM
26.12.13	11 AM – 02 PM TO 05 PM – 08 AM
04.01.14	11 AM – 01 PM TO 03 PM – 07 AM
06.01.14	12 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
10.01.14	10 AM – 12 PM TO 03 PM – 06 AM
11.01.14	11 AM – 01 PM TO 04 PM – 07 AM
13.01.14	12 AM – 03 PM TO 05 PM – 07 AM
16.03.14	11 AM – 01 PM TO 04 PM – 05 AM
27.03.14	10 AM – 12 PM TO 03 PM – 05 AM
28.03.14	11 AM – 01 PM TO 03 PM – 05 AM

बिना अवधि प्रविष्टि के ही ईंधन का खपत :–

दिनांक	अवधि	ईंधन	जांचकर्ता द्वारा सत्यापित
26.10.13	Nil	07 Liter	हां
28.10.13	Nil		नहीं
30.10.13	Nil		नहीं

परिशिष्ट–VIII

(प्रतिवेदन की कंडिका 11 के भाग– I से संदर्भित)

लेखापरीक्षा परिणाम

क्र0सं0	कंडिका सं0(II(ख))	लेखा परीक्षा के दौरान वसूली गई राशि	वसूली हेतु सुझाई गई राशि	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि
1	1	–	1049167.00	
2	2	–		1107997.00
3	3(i)	–	4516032.00	–
4	3(ii)	–	34220.00	–
5	4	–	51864.00	–
6	5(i)	–	–	5451600.00
7	5(ii)	–	–	2250000.00
8	6	–	964020.00	–
9	7	–	–	8040985.00
10	8(i)	–	200.00	–
11	9	–	–	11700000.00
12	10(i)	–	–	382125.00
13	10(ii)	–	–	139500.00
14	11	–	–	1550530.00
15	12	–	623677.00	–
16	13	–	2689779.00	–
17	15	–	–	114900.00
18	18	–	48466154.00	–
19	19	–	–	1783446.00
20	21	–	–	19756252.00
21	22	–	15587825.00	–
		शून्य	**73982938.00**	**52277335.00**